राजस्थान सरकार

कृषि विपणन विभाग

पंत कृषि भवन

जयपुर

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ब) के अन्तर्गत की सूचना)

अद्यतन दिनांक 01.02.2016

Chapter-I

अपने संगठन की विशिष्ठयां, कृत्य और कर्त्तव्य

राजस्थान के निर्माण के पूर्व यह विभाग अस्तित्व में नहीं था। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी, उससे पूर्व कृषि विपणन का कार्य कृषि विभाग के अन्तर्गत सम्पन्न किया जाता था। वर्ष 1961 में राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 बनाया गया और इसके अन्तर्गत नियमों का प्रकाशन वर्ष 1963 में किया गया। राज्य में वर्ष 1964 में नियमन कार्य प्रारम्भ किया गया। राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढ़ग से लागू करने, मण्डी प्रांगणों का निर्माण करने एवं मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों,पुलियां आदि निर्माण करने के उद्देश्य से सन् 1974 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1974 से फरवरी, 1980 तक कृषि उपज विपणन का नियमन कार्य, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया गया।

वर्ष 1980 में राजस्थान राज्य में पृथक से कृषि विपणन निदेशालय बनाया गया एवं कृषि उपज मण्डियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण,मार्गदर्शन,सर्वेक्षण का कार्य एवं निर्माण कार्य साथ–साथ सन् 1980 तक विपणन बोर्ड के पास रहा। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी सन् 1980 में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की गई। निदेशालय की स्थापना के पश्चात् कृषि विपणन बोर्ड का कार्य मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगणों का निर्माण, सम्पर्क सड़कों का निर्माण, मण्डी सचिवों एवं अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण,कृषि विपणन से सम्बन्धित अनुसंधान आदि रखा गया जबकि निदेशालय को मण्डी नियमन, एगमार्क प्रयोगशालाओं की स्थापना, व्यावसायिक वर्गीकरण, बजट स्वीकृतियां, मण्डी परिज्ञान एवं मूल्यांकन, सामान्य प्रशासन एवं संस्थापन का कार्य सौंपा गया।

तभी से उपरोक्त कार्य विभाजन के आधार पर विपणन बोर्ड एवं विपणन निदेशालय अपने–अपने क्षेत्र में कृषि विपणन व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का सम्पादन करते आ रहे हैं।

विभाग का ढांचा

समिति द्वारा विभाग तथा उसके संयुक्त अधीनस्थ कार्यालयों/शाखाओं के संगठन के ढाचें संबंधी जानकारी चाहने पर विभाग ने सूचित किया, जो निम्न प्रकार हैं:–

क्र.स.	नाम पद	स्वीकृति पदों की संख्या	कैडर
1.	निदेशक	1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा
2.	अतिरिक्त निदेशक	1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा
3.	वित्तीय सलाहकार	1	राजस्थान लेखा सेवा
4.	संयुक्त निदेशक	7	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा

5.	उप निदेशक, कृषि विपणन	23	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा
6.	उप निदेशक (सांख्यिकी)	1	कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
7.	सहायक निदेशक	47	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा
8.	सहायक विधि परामर्शी	1	राजस्थान विधि सेवा
9.	विपणन अधिकारी	74	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा
10.	लेखाधिकारी	2	राजस्थान लेखा सेवा
11.	एनलिस्ट कम प्रोग्रामर	1	राजस्थान कम्प्यूटर सेवा
12.	प्रोग्रामर	1	राजस्थान कम्प्यूटर सेवा
13.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	राजस्थान मंत्रालयिक सेवा
14.	कनिष्ठ विपणन अधिकारी	102	राजस्थान अधीनस्थ सेवा

अराजपत्रित शाखा में स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों का विवरण
माह – दिसम्बर 2015 तक की स्थिति अनुसार

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त	वि.वि.
1.	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	3	2	1	
2.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	09	07	02	
3.	निजी सहायक	01	–	01	
4.	शीघ्र लिपिक	01	–	01	एक पद बी.एफ.सी. वर्ष 2009–10 में आस्थगित रखा गया
5.	संगणक	06	06	–	4 पद विभागीय
6.	रसायनज्ञ	08	04	04	
7.	सहायक रसायनज्ञ	08	08	–	
8.	सहा. सांख्यिकी अधिकारी	04	03	01	
9.	सहायक लेखाकार II	18	11	07	
10.	कनिष्ठ लेखाकार	03	–	03	
11.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	–	01	
12.	सूचना सहायक	01	02	–	एक–एनलिस्ट कम प्रोग्रामर के विरूद्व
13.	लिपिक ग्रेड–I	18	15	03	
14.	लिपिक ग्रेड–II	21	12	09	
15.	वाहन चालक	03	01	02	
16.	प्रयोगशाला सहायक	01	01	–	
17.	प्रयोगशाला अनुचर	06	05	01	
18.	जमादार	01	–	01	
19.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	19	09	10	एक पद बी.एफ.सी. वर्ष 2009–10 में आस्थगित रखा गया, एक पद मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु विचाराधीन।
	योग	**132**	**86**	**47**	

विभाग की कार्य प्रणाली

इस विभाग का कार्य कृषि उपजों के क्रय–विक्रय को नियमित करना है, जिसके सुचारू रूप से संचालन हेतु निदेशालय एवं खण्डीय स्तरों पर किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैंः–

निदेशालय द्वारा सम्पादित कार्य

1. मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों/मण्डी समितियों का कार्मिक एवं संस्थापन कार्य
2. कृषि उपज मण्डी समितियों पर प्रशासनिक नियत्रंण
3. कृषि उपजों के क्रय–विक्रय का नियमन
4. कृषि उपज मण्डी समितियों पर वित्तीय नियंत्रण
5. मण्डी प्रांगणों हेतु भूमि अवाप्ति, परियोजना सृजन एवं दुकान भूखण्डों के आवंटन
6. सम्पर्क सड़कों एवं परियोजना कार्यों के प्रस्तावों का नीति अनुसार परीक्षण कर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करना
7. मण्डी परिज्ञान, भावों का प्रसारण एवं प्रचार
8. एगमार्क एवं वर्गीकरण
9. मण्डी शुल्क आय पर प्रभावी नियंत्रण

विभागीय कार्यों के निष्पादन एवं मण्डी समितियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य में 10 खण्डीय कार्यालय है जहां निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैंः–

1. खण्ड की मण्डियों पर पर्यवेक्षणीय नियंत्रण
2. नियमन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना
3. प्रत्योजित संस्थापन कार्य
4. मण्डी शुल्क आय पर नियंत्रण एवं शुल्क अपवंचन को रोकना
5. वाद शमन अर्थात किसान एवं व्यापारियों के मध्य एवं मण्डी शुल्क अपवंचन संबंधी विवादों का निष्पादन
6. भूखण्ड/दुकानों का आवंटन
7. अभाव अभियोग एवं जांच निष्पादन

Chapter-II

(अ) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां

क्र.सं.	पद नाम	शक्तियां
1	विभागाध्यक्ष / निदेशक	विभागाध्यक्ष की शक्तियां
2	कार्यालयाध्यक्ष / अति.निदेशक	राज. सेवा नियम, वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राज. राज्य कृषि विपणी अधिनियम राज. अधीनस्थ सेवा नियम, राज. अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम के अनुसार
3	वित्तीय सलाहकार	राज. सेवा नियम, वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राज. राज्य कृषि विपणी अधिनियम राज. अधीनस्थ सेवा नियम, राज. अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम के अनुसार
4	संयुक्त निदेशक	राज. सेवा नियम, वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राज. राज्य कृषि विपणी अधिनियम राज. अधीनस्थ सेवा नियम, राज. अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम के अनुसार
5	उप / सहायक निदेशक, मुख्यालय	राज. सेवा नियम, वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राज. राज्य कृषि विपणी अधिनियम राज. अधीनस्थ सेवा नियम, राज. अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम के अनुसार
6	संयुक्त / उप निदेशक (कार्यालयाध्यक्ष) खण्ड कार्यालय	राज. सेवा नियम, वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राज. राज्य कृषि विपणी अधिनियम राज. अधीनस्थ सेवा नियम, राज. अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम के अनुसार

(ब) अधिकारियों और कर्मचारियों का कर्त्तव्य / आवंटित कार्य

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	आंवटित कार्य
1.	श्री दिनेश कुमार यादव	निदेशक	विभागाध्यक्ष
2.	श्री जुगलकिशोर शर्मा	वित्तीय सलाहकार	लेखा, मंडी कर्मचारी कल्याण निधि, ई–गवर्नेन्स, मण्डी बजट संबंधी समस्त कार्य, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, स्टोर शाखा
3.	श्री बी.एल.मीना	संयुक्त निदेशक	भू–अवाप्ति,सर्वे एवं सतर्कता,परियोजना,नवाचार (किसान कलेवा योजना एवं आयल टेस्टिग लैब सहित), मण्डी कर्मचारी पेंशन, पेंशन अशंदान चैक,डाफ्ट चालान द्वारा जमा कराना, नियमन, अधिनियम, मण्डी चुनाव,मण्डी सुविधा, यात्रा

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	आंवटित कार्य
			अनुमोदन, उपस्थिति प्रमाण पत्र, कृषि प्रसंस्करण नीति, टाईम्स दौरे
4.	श्री नरेश कुमार यादव	उपनिदेशक	सांख्यिकी शाखा, आहरण वितरण / रोकड बिल, कम्प्यूटर शाखा, ई–गवर्नेस, आयल टेस्टिग लैब
5.	श्री केसर सिंह	उप निदेशक	आवंटन, विधान सभा, संस्थापन राजपत्रित / अराजपत्रित शाखा
6.	श्री प्रमोद कुमार सत्या	उप निदेशक	भूमि अवाप्ति, अपील, जनअभाव अभियोग प्रकोष्ठ, विभागीय / प्राथमिक व मण्डी कर्मचारी जांच शाखा, राज्य बीमा एवं प्राव. निधि, हजार्ड फण्ड
7.	श्री प्रफुल्ल पारीक	सहायक निदेशक	सर्वे व सतर्कता, विधान सभा, सूचना का अधिकार, राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम शाखा
8.	श्री मोहनलाल जाट	सहायक निदेशक	मण्डी सुविधा व नियमन का समस्त कार्य शाखा
9.	श्री मनोहरलाल गुप्ता	सहायक निदेशक	परियोजना,नवाचार, रिसर्जेन्ट राजस्थान,प्राइवेट मण्डियां,सीधी खरीद
10.	श्री महेन्द्र कुमार बिडियासर	सहायक विधि परामर्शी	विधि, सूचना का अधिकार, राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, सुनवाई का अधिकार अधिनियम
11.	श्रीमती सरोज मीणा	विपणन अधिकारी	आंवटन शाखा
12.	श्रीमती प्रीति बैरवा	विपणन अधिकारी	नियमन शाखा
13.	श्री मोहन लाल	लेखाधिकारी	मण्डी कर्मचारी पेंशन भुगतान / पेंशन खाता संधारण, मण्डी कर्मचारी पेंशन अशंदान चैक / डाफ्ट
14.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	लेखाधिकारी	मण्डी कर्मचारी कल्याण निधि, स्टोर, राजीव गांधी कृषक साथी योजना / आहरण एवं वितरण, रोकड / बिल शाखा, राज्य बीमा एवं प्राव. निधि, हजार्ड फण्ड
15.	श्री मंगलचंद वर्मा	सहायक लेखाधिकारी	लेखा संबंधी
16.	श्री पीयूष माथुर	सहायक लेखाधिकारी–I	लेखा संबंधी
17.	श्री नवीन दुआ	प्रोग्रामर	कम्प्यूटर शाखा
18.	श्रीमती संतोष कासनिया	कनिष्ठ विप. अधि.	विधान सभा, भूमि अवाप्ति,रिसर्जेन्ट राजस्थान
19.	श्रीमती रजनी	कनिष्ठ विप. अधि.	राजीव गांधी कृषक साथी योजना
20.	श्रीमती ओ.बी. रोहेला	कनिष्ठ विप. अधि.	आवंटन शाखा

Chapter-III

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिनियमों / नियमों यथा – राज्य सेवा नियम, सामान्य वित्तीय लेखा नियम, राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 व राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के प्रावधानानुसार निर्णय लिये जाते है ।

पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम :–

कृषि विपणन के क्षेत्र में निदेशक, कृषि विपणन के निर्देशन में खण्ड कार्यालय स्तर पर क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक एवं कृषि उपज मण्डी समिति स्तर पर सचिव कृषि उपज मण्डी समिति एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम/नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं उसके पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

Chapter-IV

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मापमान

क्र.सं.	शाखा का नाम	पीठासीन / प्रभारी अधिकारी
1.	कार्यालयाध्यक्ष / संस्थापन (राजपत्रित / अराजपत्रित), ए.सी.आर. / विधान सभा / आवंटन / भूमि अवाप्ति / विभागीय व प्राथमिक जांच(राजपत्रित,अराजपत्रित / मण्डी कर्मचारी) / नियमन / मण्डी सुविधा / अधिनियम नियम संशोधन / राजीव गॉधी कृषक साथी योजना / मण्डी संस्थापन / परियोजना व नवाचार शाखा / विधि / सूचना का अधिकार / राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम / अपील / यात्रा अनुमोदन व उपस्थिति प्रमाण पत्र / परिज्ञान एवं वर्गीकरण / आहरण वितरण / रोकड / बिल शाखा	अतिरिक्त निदेशक
2.	लेखा / मण्डी बजट संबंधी समस्त कार्य। राजीव गॉधी कृषक साथी योजना,मण्डी कर्मचारी कल्याण निधि / कम्प्यूटर व ई–गवर्नेंस शाखा / स्टोर /	वित्तीय सलाहकार
3.	आवंटन / नियमन / मण्डी सुविधा / सूचना का अधिकार / मण्डी कर्मचारी कल्याण निधि / मण्डी कर्मचारी पेंशन भुगतान / पेंशन खाता संधारण / जन अभाव अभियोग प्रकोष्ठ पत्र प्राप्ति / प्रेषण शाखा / राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि / हजार्ड फण्ड	संयुक्त निदेशक
4.	सतर्कता एवं सर्वेक्षण भूमि अवाप्ति, अधिनियम नियम संशोधन, मण्डी चुनाव विभागीय / प्राथमिक जॉच एवं मण्डी कर्मचारी जॉच / स्टोर / अपील, चालान मण्डी कर्मचारी संस्थापन / ग्रेडिंग / यात्रा अनुमोदन / मण्डी कर्मचारी पेंशन भुगतान,पेंशन अंशदान / मण्डी कर्मचारी कल्याण कोष / हजार्ड फण्ड	उप निदेशक
5.	सांख्यिकी / परिज्ञान शाखा	उप निदेशक (सांख्यिकी)
6.	आहरण एवं वितरण / विधान सभा / संस्थापन राजपत्रित / अराजपत्रित, ए.सी.आर.	सहायक निदेशक
7.	मण्डी परियोजना / वृक्षारोपण / आपणी रसोई / वाटर हार्वेस्टिंग / सौर ऊर्जा,मण्डी शुल्क सम्बन्धि / विभागीय नवाचार / राजीव गांधी कृषक साथी योजना / आवंटन / अधिनियम व नियम संशोधन / मण्डी चुनाव / सर्वे एवं सतर्कता / मण्डी कर्मचारी संस्थापन / भूमि अवाप्ति	विपणन अधिकारी
8.	कोर्ट केसेज / सूचना का अधिकार	सहायक विधि परामर्शी

Chapter-V

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

1. राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961
2. राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963
3. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (उप मण्डी यार्डों की स्थापना) नियम 1987
4. राजस्थान कृषि उपज विपणन (मण्डी समितियों द्वारा अंशदान) नियम, 1974
5. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975
6. राजस्थान कृषि उपज मण्डी सेवा (पेंशन) नियम, 1995
7. राजस्थान मण्डी कर्मचारी कल्याण निधि नियम, 1993

अचल सम्पति आवंटन नीति–2005

1. <u>संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ</u> :–

(1) यह नीति कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में ''अचल सम्पत्ति आवंटन नीति–2005'' कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवत्त होगी।

(3) यह नीति राजस्थान की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों पर लागू होगी।

2. <u>परिभाषाएं</u> : जब तक कि विषय या संदर्भ अन्यथा अभिप्रेत न हो, इस नीति में :–

(1) मण्डी प्रांगण से तात्पर्य वर्तमान में विद्यमान, निर्माणाधीन व भविष्य में निर्मित होने वाले व अधिसूचित किये जाने वाले मुख्य मण्डी एवं गौण मण्डी प्रांगणों से है।

(2) अचल सम्पत्ति से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के ले–आउट प्लान में चिन्हित भूखण्ड एवं मण्डी प्रांगण में निर्मित भवनों से है।

(3) दुकान से तात्पर्य निर्मित दुकान मय प्लेटफार्म, दुकान मय गोदाम एवं प्लेटफार्म से है।

(4) फुटकर दुकान (सण्डरी शॉप) से तात्पर्य गैर अधिसूचित कृषि जिन्सों के व्यवसाय तथा कृषि से सम्बन्धित आदान एवं सेवाओं के लिए निर्मित दुकान से है।

(5) भू–खण्ड से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के ले–आउट प्लान में विभिन्न प्रयोजनार्थ चिन्हित रिक्त स्थान से है।

(6) भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मुख्य मण्डी यार्ड, गौण मण्डी एवं मण्डी क्षेत्र में अवाप्त, आवंटन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से प्राप्त की गयी हो।

(7) डी.एल.सी. दर से तात्पर्य सम्बन्धित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा कृषि उपज मण्डी के मुख्य/गौण मण्डी प्रांगण क्षेत्र हेतु निर्धारित प्रचलित व्यवसायिक दर है। ऐसी दर निर्धारित न होने की दशा में मण्डी प्रांगण के निकटतम क्षेत्र की व्यवसायिक डी.एल.सी. दर ही डी.एल.सी. दर कहलाएगी।

(8) प्रथम चरण के आवंटन से तात्पर्य विद्यमान मण्डी प्रांगण में चल रहे व्यवसाय एवं कार्यरत अनुज्ञापत्रधारियों, जिन्हें विद्यमान मण्डी प्रांगण के अघोषित किये जाने अथवा अन्य कारणों से नवनिर्मित मण्डी प्रांगण में स्थानान्तरित किये जाने के कारण, नवनिर्मित मण्डी प्रांगण में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन दुकानों के भूखण्ड/दुकानें आवंटित किये जाने से है। इसमें मण्डी क्षेत्र में अवस्थित सभी इच्छुक अनुज्ञापत्रधारी व्यवसायियों को स्थानान्तरित किया जाना भी शामिल है, किन्तु सब–यार्ड के अनुज्ञाधारी को नवनिर्मित प्रांगण में भूखण्ड आवंटन पर उसे सब–यार्ड में आवंटित दुकान समर्पित करनी होगी।

(9) ''द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों का आवंटन'' से तात्पर्य प्रथम चरण के आवंटन के पश्चात् शेष रहे दुकानों के भूखण्ड/दुकानों के आवंटन से है।

इसमें प्रथम चरण के निरस्त एवं रिक्त होने से उपलब्ध दुकानों के भूखण्ड/दुकान भी शामिल है।

10) कृषक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो राजस्व अभिलेख में स्वयं के नाम से भूमि धारण करता है।

(11) टर्न ओवर से तात्पर्य विज्ञप्त कृषि जिन्सों के विक्रय से है।

3. <u>प्रथम चरण का आवंटन</u> :–

(1) नवनिर्मित मण्डी प्रांगण में प्रथम चरण में दुकानों के भूखण्डों/दुकानों का आवंटन 99 वर्षीय लीज पद्धति के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर, आरक्षित दर पर किया जावेगा।

(2) मण्डी प्रांगण के अन्यत्र स्थानान्तरण की दशा में लीज को 99 वर्ष से पूर्व भी निरस्त किया जा सकेगा।

(3) 99 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर लीज को एक बार में 10 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(4) प्रथम चरण के आवंटन में पात्र आवेदकों को वरीयता क्रम के अनुसार दुकान/दुकानों के भूखण्ड का चयन करने का अवसर प्रदान किया जावेगा। आवंटन समिति द्वारा उपलब्ध दुकानों के भूखण्डों/दुकानों पर नम्बरिंग करने के पश्चात् वरीयताधारी को वरीयता क्रम से आवंटन समिति के समक्ष उपस्थित होकर उपलब्ध दुकानों के भूखण्ड/दुकान में से दुकानों के भूखण्ड/दुकान का चयन करना होगा। आवंटन समिति द्वारा प्रथम वरीयताधारी को दिये गये दुकानों के भूखण्ड/दुकान के समक्ष क्रॉस अंकित कर सहमति स्वरूप वरीयताधारी के हस्ताक्षर कराये जाएंगे। इसके उपरान्त अगले वरीयताधारी को बुलाया जावेगा। जो आवेदक अपने वरीयता क्रम पर अपनी पसन्द बताने मे असफल रहेगा, <u>ऐसे असफल वरीयताधारियों को आवंटन समिति द्वारा शेष रही दुकानों के भूखण्डों/दुकानों का लॉटरी पद्धति से आवंटन किया जावेगा।</u>

(5) 99 वर्षीय लीज पर आवंटित भूखण्डों के संबंध में लीज राशि 2.5 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की जाती है। जिन मंडियों में दुकानों का आवंटन निर्माण कराकर किया गया है वहां भूमि एवं निर्माण लागत के आधार पर लीज राशि एवं जहां केवल भूखंड का आवंटन किया गया है वहां केवल भूमि की कीमत पर लीज राशि ली जावे। भूमि की कीमत का निर्धारण 1.4.07 को प्रभावी डी.एल.सी. की दर के 25 प्रतिशत दर के आधार पर ही किया जायेगा। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात 25 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। आवंटी द्वारा लीज राशि की 10 गुणा राशि एक मुश्त जमा कराने पर आवंटी को भविष्य मे लीज के भुगतान से मुक्त किया जा सकेगा।

(6) <u>लीज अवधि पूर्ण होने से पूर्व मण्डी प्रांगण के स्थानान्तरण की दशा में आवंटी</u> द्वारा आवंटित भूखण्ड पर निर्मित दुकान की लागत, जिसमें भूखण्ड की आवंटन के समय की आरक्षित राशि व दुकान निर्माण की लागत, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये गये निर्धारण एवं पंजीयन मुद्रांक विभाग की रीति से किये गये निर्धारण

में से जो भी अधिक हो, शामिल होगी, के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राशि मण्डी समिति एवं आवंटी में 50–50 % के अनुपात में विभाजित की जावेगी।

(7) प्रथम चरण में आवंटन प्रक्रिया अनुलग्नक ''अ'' के अनुसार होगी।

4. प्रथम चरण के आवंटन के लिए पात्रता :–

(1) प्रथम चरण के आवंटन में केवल ऐसे ''क'' वर्ग दलाल, संयुक्त व्यापारी व व्यापारी वर्ग के अनुज्ञापत्रधारी ही आवंटन के पात्र होंगे, जो कि अघोषित किये जाने वाले मण्डी प्रांगण एवं मार्केट एरिया में अवस्थित हों एवं व्यवसाय कर रहे हों तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवंटन के पात्र हो।

(2) ऐसे अनुज्ञाधारी जिन्होंनें आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की सूचना जारी होने वाले वर्ष से ठीक पूर्व वर्ष के 3 वित्तीय वर्षों में अधिसूचित कृषि जिन्सों का टर्न–ओवर नहीं किया हो, आवंटन हेतु अपात्र होंगे।

(3) किसी अनुज्ञाधारी फर्म के भागीदार यदि अन्य फर्म में भी भागीदार हों तो ऐसी अन्य फर्में आवंटन के लिए अपात्र होंगी। अनुज्ञाधारियों को आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि वे कितनी फर्मों में भागीदार हैं व उसमें से कौन–सी एक फर्म हेतु आवंटन चाहते हैं।

(4) प्रथम चरण में ऐसे आवेदनकर्ता जो अनुज्ञापत्रधारी होने के उपरान्त भी इस अनुच्छेद के 2 के प्रावधानान्तर्गत आवंटित विज्ञप्ति से गत तीन वर्षों में निरन्तर व्यवसायरत न होने के कारण अर्थात विज्ञप्त कृषि जिन्सों के टर्नओवर नहीं करने के कारण अपात्र कर दिये जाते हैं, उन्हें द्वितीय चरण की भांति एवं दर पर आवंटन किया जावे। ताकि प्रथम चरण के सभी अनुज्ञापत्रधारी आवेदकों को आवंटन हो सके।

5. आरक्षित दर का निर्धारण :–

(1) प्रथम चरण के आवंटन हेतु दकानों के भूखण्ड एवं दुकानों की आरक्षित दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया जावेगा –

$$\text{भूखण्ड की आरक्षित दर (प्रति वर्गमीटर)} = \frac{\text{भूमि की लागत + मण्डी प्रांगण के विकास कार्यों की लागत का 70\%}}{\text{आवंटन/निस्तारण योग्य क्षेत्रफल (वर्गमीटर)}}$$

स्पष्टीकरण :

(i) भूमि की लागत से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के लिए विकसित की गयी भूमि की लागत से है। भूमि अर्जन की लागत में आवंटन वर्ष से ठीक पहले समाप्त हुए वित्त वर्ष तक 10% की दर से ब्याज शामिल किया जावेगा।

(ii) विकास कार्यों की लागत से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के विकास पर किये जाने वाले सम्पूर्ण व्यय से है, परन्तु इसमें स्टाफ क्वाटर्स की लागत शामिल नहीं होगी।

(iii) आवंटन एवं निस्तारण योग्य भूमि से तात्पर्य ऐसे समस्त क्षेत्र से है, जिसका व्यवसायिक उपयोग हो, इसमें कॉमन सुविधाओं की भूमि यथा आन्तरित सड़कें, ऑक्शन प्लेटफार्म, कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वाटर्स शामिल नहीं होंगे।

(2) निर्मित दुकानों की आरक्षित दर उपरोक्त वर्णित रीति से निर्धारित दुकान के भूखण्ड की आरक्षित दर एवं दुकान की निर्माण लागत मूल्य के योग के बराबर होगी।

(3) आवंटी को कॉर्नर के दुकान के भूखण्ड अथवा दुकान के लिए आरक्षित दर की 10% राशि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। (प्रत्येक चरण में)

(4) विद्यमान मण्डी प्रांगण में जहां न्यायालय आदेश या किसी अन्य कारण से प्रथम चरण का आवंटन शेष है, ऐसे मामलों में दुकानों के भूखण्ड/दुकान की आरक्षित दर का निर्धारण मण्डी के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

6. आरक्षित राशि की वसूली :–

(1) आबंटियों से दुकान/दुकान के भूखण्ड की आरक्षित राशि निम्न रीति से वसूल की जावेगीः–

(1) प्रथम चरण में आवंटित भूखण्ड के मूल्य की 25% राशि आवंटन पत्र जारी होने पर आवंटन पत्र में निर्दिष्ट अवधि में, 25% राशि इसके तीन माह बाद एवं शेष 50% राशि तत्पश्चात् 6–6 माह की समान किश्तों में जमा कराई जाएगी।

(2) आरक्षित राशि आवंटन के समय एक मुश्त जमा करवाने की दशा में आवंटी को आवंटन राशि में 5% की छूट दी जावेगी।

(3) आवंटन के समय भुगतान की गयी आरक्षित राशि के अलावा शेष राशि पर आवंटी द्वारा 10% वार्षिक दर पर ब्याज देय होगा। शेष राशि देय तिथि के पश्चात् अधिकतम 6 माह की अवधि में 15% वार्षिक ब्याज दर के साथ जमा कराई जा सकेगी। इसके पश्चात् आवंटी का आवंटन एवं अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा आवंटित भूखण्ड अथवा दुकान सभी भारों से मुक्त होकर मण्डी समिति में निहित हो जावेगी।

7. द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों का आवंटन :–

(1) द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में दुकानों के भूखण्ड या दुकानों का आवंटन ऐसे अनुज्ञापत्रधारी आवेदक को ही किया जावेगा, जिन्होंनें आवंटन के वर्ष से ठीक पूर्व के कम से कम एक वित्तीय वर्ष में अधिसूचित कृषि जिन्सों का व्यवसाय किया हो, परन्तु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर की डेढ़ गुना राशि का भुगतान करने पर ऐसे आवेदकों को भी भूखण्ड या दुकान आवंटित की जा सकेगी, जिन्होंनें पूर्व में अधिसूचित कृषि जिन्सों का व्यवसाय नहीं किया हो। दोनों श्रेणीयों के आवेदकों की संख्या के आधार पर भूखण्डों की संख्या का श्रेणीवार निर्धारण किया जायेगा।

(2) आवंटन की दर डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत राशि होगी, परन्तु यह दर निकटतम क्षेत्र की रिको दर से कम नहीं होगी। परन्तु

जिन मण्डियों हेतु पृथक से डी.एल.सी. दर निर्धारित हो गई है, तो उसी डी.एल.सी. दर (100 %) को ही द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में आवंटन का आधार रखा जावेगा।

उक्त प्रावधान बिन्दु संख्या 12 के तहत सण्ड्री शॉप्स के आवंटन तथा बिन्दु संख्या 17 के तहत भूखंड एवं निर्मित गोदाम आवंटन तथा उन प्रकरणों में भी लागू होगा जहां किराये की दुकानों को डी.एल.सी. की 25% पर आवंटित करने का प्रावधान है।

(3) आवंटन 99 वर्षीय लीज के आधार पर होगा।

(4) आवंटित दुकानों के भूखण्ड/दुकान की राशि का भुगतान आवंटन के समय एक मुश्त किया जावेगा।

(5) आवंटन हेतु उपलब्ध दुकानों के भूखण्डों/दुकानों पर आवंटन से पूर्व दुकानों के भूखण्ड/दुकान की नम्बरिंग का कार्य आवंटन समिति द्वारा किया जावेगा। द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में दुकानों के भूखण्ड या दुकान का आवंटन, पात्र आवेदकों को लॉटरी पद्धति के आधार पर किया जायेगा। ऐसे आवंटन के साथ अनुज्ञाधारियों की सूची समाप्त हो जावेगी। अगली बार आवंटन हेतु पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे एवं तदानुसार दुकानों के भूखण्ड/दुकानों का आवंटन किया जा सकेगा। निर्धारित दर की डेढ़ गुना राशि पर भुखण्ड/दुकान लेने वाले आवेदकों की संख्या उपलब्ध भूखण्ड/दुकानों से अधिक होने पर आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जावेगा।

(6) 99 वर्षीय लीज पर आवंटित भूखण्डों के संबंध में लीज राशि 2.5% के स्थान पर 1.00 % की जाती है। जिन मण्डियों में दुकानों का आवंटन निर्माण कराकर किया गया है वहां भूमि की कीमत एवं निर्माण लागत के आधार पर एवं जहां केवल भूखण्ड का आवंटन किया गया है वहां केवल भूमि की कीमत पर लीज राशि देय होगी । इसमें प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात 25% की वृद्धि की जावेगी। आवंटी द्वारा लीज राशि की 10 गुणा राशि एक मुश्त जमा कराने पर, आवंटी को भविष्य में लीज के भुगतान से मुक्त किया जा सकेगा।

(7) नवीन प्रावधान बिन्दु संख्या 7(7)–द्वितीय एवं पश्चावर्ती चरणों में दुकानों के भूखण्डों के आवंटन में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किये जाकर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवंटन किये जा सकेगे। (प.4(12)कृषि/ग्रुप–2/2000/पार्ट दिनांक 5.4.2013)

संशोधन – नवीन प्रावधान बिन्दु संख्या 7(7)–संबंधित मण्डी क्षेत्र की अनुज्ञापत्रधारी तेल मिलों व अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण इकाईयों (मण्डी से बाहर) के लिए द्वितीय एवं पश्चावर्ती चरण में आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्ड /दुकानों के 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किये जाकर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवंटन किये जा सकेगे। (प.4(12)कृषि/ग्रुप–2/2000/पार्ट दिनांक 20.5.2013)

8. प्रथम तल का आवंटन :– (विलोपित)

श्रीमान् निदेशक एवं पदेन उप शासन सचिव, कृषि विपणन विभाग, राज. जयपुर के पत्रांक प.5 (155)निकृवि/आवंटन/28026–175 दिनांक 29.08.08 के अनुसार उक्त बिन्दु संः 8 ''प्रथम तल का आवंटन सम्बन्धी'' प्रावधान विलोपित किया गया।

9. <u>आवंटन का अनुमोदन</u> :–

मण्डी प्रांगणों में सभी चरणों में आवंटित भूखण्ड/दुकान का कब्जा दिये जाने से पूर्व निदेशक, कृषि विपणन से आवंटन समिति बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

10. <u>दुकान निर्माण की अवधि एवं दुकानों का मण्डी समिति को समर्पण</u> :–

(1) प्रथम चरण, द्वितीय चरण व उसके बाद के चरणों में आवंटित होने वाले भूखण्डों पर आवंटी को मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र/टाईप डिजाईन के अनुसार ही दुकान/गोदाम का निर्माण, भूखण्ड का कब्जा लिये जाने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना होगा। उक्त अवधि के पश्चात भी निर्माण पूर्ण नहीं कराये जाने तीन माह का अतिरिक्त समय आवंटन राशि की 5 प्रतिशत शास्ति जमा कराने पर दिया जा सकेगा। उक्त अवधि में भी भी निर्माण कार्य पूर्ण कराकर व्यवसाय शुरू नहीं किए जाने पर आवंटी का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा निर्माण अवधि को कम किया जा सकेगा।

(2) किसी विद्यमान मण्डी प्रांगण को स्थानान्तरित किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारियों को नवीन मण्डी प्रांगण में निर्मित दुकान/गोदाम आवंटन होने की दशा में दुकान/ गोदाम का कब्जा दिये जाने की तिथि से एक माह की अवधि में विद्यमान मण्डी प्रांगण में आवंटित दुकान/गोदाम रिक्त कर मण्डी समिति को सुपुर्द करना होगा। इसकी पालना नहीं करने पर ऐसे आवंटियों का आवंटन व अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(3) नवीन मण्डी प्रांगण में दुकान के भूखण्ड आवंटन होने की दशा में आवंटित भूखण्ड पर दुकान/गोदाम निर्माण हो जाने पर अथवा निर्माण हेतु निर्धारित एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो विद्यमान मण्डी प्रांगण में आवंटन शुल्क पर आवंटित दुकान/गोदाम मण्डी समिति को रिक्त करके सुपुर्द करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आवंटन एवं आवंटी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं नवीन मण्डी प्रांगण में आवंटित भूखण्ड सभी भारों से मुक्त होकर मण्डी समिति में निहित हो जावेगा। लीज पर आवंटित दुकान अथवा भूखण्ड पर निर्मित दुकान की नीति के बिन्दु सं. 3(6) के अनुसार निर्धारित लागत के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राशि मण्डी समिति एवं आवंटी में 50–50 % के अनुपात में विभाजित की जावेगी।

11. <u>मासिक आवंटन शुल्क पर आवंटित परिसम्पत्तियों का 99 वर्षीय लीज में परिवर्तन</u>

(1) **(क)** – कृषि मण्डी प्रांगणों में अनुज्ञाधारियों को आवंटन शुल्क (किराया) पद्धति पर आवंटित दुकानों/गोदामों को लीज पद्धति में परिवर्तित कराया जा सकेगा। जो अनुज्ञाधारी /आवंटी, आवंटित दुकान/गोदाम आवंटन शुल्क (किराया) पद्धति पर रखना चाहते हैं, उनके द्वारा देय आवंटन शुल्क (किराया) की राशि में दिनाक 01.04.2007 के पश्चात प्रत्येक वित्त वर्ष के पूर्ण होने पर 5% की वृद्धि की जायेगी।

(ख) –मण्डी प्रांगणों में दुकानों/गोदामों के आवंटी अनुज्ञाधारियों को 31.08.2008 तक यह विकल्प सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रस्तुत करना होगा कि वे आवंटित दुकान/ गोदाम आवंटन शुल्क (किराया) पद्धति पर रखना चाहते हैं अथवा लीज पद्धति में परिवर्तित कराना चाहते हैं।

(2) आवंटित दुकान/गोदाम को लीज पद्धति में परिवर्तित कराने की दशा में परिवर्तन की तिथि तक जमा कराई गई अथवा देय आवंटन शुल्क (किराये की राशि) दुकानों/ गोदामों के लिये देय राशि में समायोजन अथवा वापस किये जाने योग्य नहीं होगी।

(3) आवंटित दुकान/गोदाम को लीज पद्धति में परिवर्तित कराने की दशा में आवंटी द्वारा देय राशि दो समान किश्तों में जमा कराई जाएगी। प्रथम किश्त की राशि विकल्प देने के तीन माह की अवधि के भीतर एवं द्वितीय किश्त की राशि, प्रथम किश्त की राशि जमा कराने के 6 माह के भीतर एवं द्वितीय किश्त की राशि, प्रथम किश्त की राशि जमा कराने के 6माह के भीतर जमा कराई जाएगी। यदि राशि सितम्बर, 11 तक जमा नहीं करायी जाती है तो बकाया राशि पर 1.4.2007 से 12% वार्षिक विलम्ब शुलक के साथ 31.12.2011 तक जमा करायी जा सकेगी अन्यथा विकल्प अस्वीकार कर दिया जावेगा।

संशोधन –उपशासन सचिव,कृषि (ग्रुप–2) विभाग,सचिवालय,जयपुर के पत्रांक प.4 (12) कृषि / ग्रुप–2/2000 लूज दिनांक 26.9.12

मण्डी प्रांगणों में दुकान/गोदामों के आवंटी अनुज्ञाधारियों को 31.12.10 तक यह विकल्प संबंधित मण्डी समिति को प्रस्तुत करना होगा कि वे आंवटित दुकान/ गोदाम आवंटन शुल्क (किराया) पद्वति पर रखना चाहते है अथवा लीज पद्वति में परिवर्तन कराना चाहते है। आवंटित दुकान/गोदामों को लीज पद्वति में परिवर्तन कराने की दशा में आवंटी द्वारा दिनांक 1.4.2007 को प्रभावी डी.एल.सी. की 25 प्रतिशत दर से भूमि की राशि देय होगी। इसके साथ आवंटी द्वारा दुकान/गोदाम को लीज पद्वति में परिवर्तन कराये जाने के समय कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा निर्धारित दुकान/गोदाम का मूल्य भी देय होगा। जिन मण्डी प्रांगणों हेतु 1.4.2007 की पृथक से डी.एल.सी. दर निर्धारित हो गई है उन मण्डी प्रांगणों में उसी डी.एल.सी. दर (100) प्रतिशत को ही मासिक आवंटन शुल्क पर आंवटित दुकान/गोदामों को 99 वर्षीय लीज में परिवर्तन हेतु आधार माना जावेगा। लीज में परिवर्तित दुकानों की भी आवंटन दर का पुर्ननिर्धारण अगर होता है तो उपरोक्तानुसार डी.एल.सी. दर को आधार रखना होगा।

उपशासन सचिव,कृषि (ग्रुप–2) विभाग,सचिवालय,जयपुर के पत्रांक प.4(12)कृषि/ ग्रुप–2/2000 दिनांक 18.12.12.

(अ) जिनके द्वारा 31.12.10 तक विकल्प प्रस्तुत कर दिया गया था परन्तु राशि जमा नहीं कराई वे जमा योग्य राशि दो किश्तों में क्रमशः 31.3.13 व 30.9.13 तक 1.1.11 से 12 प्रतिशत विलम्ब राशि के साथ जमा करा सकेगे।

(ब) जिन्होंने 31.12.10 तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है वे 31.1.13 तक विकल्प दे सकेगे। ऐसे अनुज्ञापत्रधारी जमा योग्य राशि दो किस्तों में क्रमशः दिनांक 30.4.13 व 31.10.13 तक 1.1.11 से 12 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ जमा करा सकेगे।

(स) जिन अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा 31.12.10 तक विकल्प प्रस्तुत कर दिया गया है तथा प्रथम किस्त की राशि 31.3.11 तक जमा करवा दी है परन्तु द्वितीय किस्त दिनांक 30.9.11 तक जमा नहीं कराई है वह बकाया राशि 1.10.11 से 12 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ 31.3.13 तक जमा करा सकेगे।

(द) आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 11(ख) में यह भी सम्मिलित किया जाना है कि जिन प्रकरणों में दोनों किस्त जमा होने के उपरान्त लीजडीड का निष्पादन हो चुका है उन प्रकरणों को खोला नहीं जावेगा।

उपशासन सचिव,कृषि (ग्रुप–2) विभाग,सचिवालय,जयपुर के पत्रांक प.4(12)कृषि/ ग्रुप–2/2000 दिनांक 31.1.13 के द्वारा अब बिन्दु संख्या (ब) में प्रावधान निम्नानुसार होगा– जिन्होंने 31.12.10 तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है वे 28.2.13 तक विकल्प दे सकेगे। ऐसे अनुज्ञापत्रधारी जमा योग्य राशि दो किस्तों में क्रमशः 31.5.13 व 30.11.13 तक 1.1.11 से 12 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ जमा करा सकेगे।

उपशासन सचिव,कृषि (ग्रुप–2) विभाग,सचिवालय,जयपुर के पत्रांक प.4(12)कृषि/ ग्रुप–2/2000 दिनांक 28.2.13 के द्वारा "जिन्होने 31.12.10 तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है वे 31.3.13 तक विकल्प दे सकेगे। ऐसे अनुज्ञापत्रधारी जमा योग्य राशि दो किस्तों में क्रमशः 30.6.13 व 31.12.13 तक 1.1.11 से 12 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ जमा करा सकेगे।

(4) मासिक आवंटन शुल्क पर आवंटित दुकानों/गोदामों को लीज में परिवर्तित करने हेतु दिनांक 01.04.2007 को प्रभावी बी0एस0आर0 पर 2% प्रति वर्ष पर डेप्रिसिएशन घटाकर निर्माण लागत निर्धारित की जावे।

(5) उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार कार्यवाही न किये जाने की दशा में दुकान का आवंटन निरस्त समझा जावेगा एवं आवंटी के विरुद्ध लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही के साथ–साथ आवंटन द्वारा दुकान मण्डी समिति को समर्पित नहीं करने की स्थिति में दुकान खाली कराने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(6) 13 वर्षीय किराये पद्धति पर आवंटित दुकानों को 13 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय चरण के आवंटन की भांति भूमि की कीमत के रुप में डी.एल.सी. की 50% राशि एवं निर्माण लागत शामिल करते हुए 99 वर्षीय लीज में परिवर्तित की जा सकेगी। लीज परिवर्तन पर देय आवंटन शुल्क 2 समान छमाही किश्तों में वसूलनीय होगी।

उपरोक्त प्रावधानों के तहत 99 वर्षीय लीज में परिवर्तित भूखण्डों के संबंध में लीज राशि 2.5% के स्थान पर 1.00% की जाती है । जिन मण्डियों में दुकानों का आवंटन निर्माण कराकर किया गया है वहां भूमि की कीमत एवं निर्माण लागत के आधार पर एवं जहां केवल भाूखण्ड का आवंटन किया गया है वहां केवल भूमि की कीमत पर लीज राशि देय होगी। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात 25% की वृद्धि की जावेगी । आवंटी द्वारा लीज राशि की 10 गुणा राशि एक मुश्त जमा कराने पर, आवंटी को भविष्य में लीज के भुगतान से मुक्त किया जा सकेगा ।

(7) मासिक आवंटन शुल्क पर आवंटित लीज में परिवर्तन के पश्चात अन्य फर्म/व्यक्ति को विक्रय करने पर भूमि की कीमत एवं दुकान की निर्माण लागत के पेटे भुगतान की गई राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि परिवर्तन शुल्क के रूप में अदा करने पर विक्रय की जा सकेगी।

(8) मासिक आवंटन शुल्क पर आवंटित दुकानों/गोदामों को लीज में परिवर्तन पर लीज राशि 2.5% के स्थान पर 1 प्रतिशत की जाती है। जिन मण्डियों में दुकानों का आवंटन निर्माण कराकर किया गया है, वहां भूमि एवं निर्माण लागत के आधार पर लीज राशि एवं जहां केवल भूखण्ड का आवंटन किया गया है, वहां केवल भूमि की कीमत पर लीज

राशि ली जावे। भूमि की कीमत का निर्धारित 01.04.2007 को प्रभावी डी0एल0सी0 की दर के 25% दर के आधार पर ही किया जायेगा। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात 25% की वृद्धि की जावेगी। आवंटी द्वारा लीज राशि की 10 गुणा राशि एक मुश्त जमा कराने पर आवंटी को भविष्य में लीज के भुगतान से मुक्त किया जा सकेगा।

12. <u>फुटकर दुकान (Sundry Shops) का आवंटन</u> :–

छोटी दुकान का भूखण्ड अथवा निर्मित छोटी दुकान का आवंटन खाद–बीज–दवाईयों, बारदाना, पशु आहार, कृषि साहित्य, कृषि यंत्र एवं अन्य सम्बन्धित कृषि व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाओं यथा एग्री क्लिनिक (केवल कृषि स्नातकों हेतु दो दुकानें) वायदा बाजार केन्द्र, बायो प्रोडक्ट शॉप, सर्टिफिकेशन लेब, टेस्टिंग लेबोटरी, गो–सेवा आयोग द्वारा प्रमाणित उत्पादों के विक्रय केन्द्र, निर्यात सलाह केन्द्र, सरस उत्पाद विपणन केन्द्र, कियोस्क, एस.टी.डी.पी.सी.ओ. आदि प्रयोजनों हेतु 99 वर्षीय लीज पद्धति पर डी.एल.सी. की 50% राशि पर उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त उपलब्ध दुकान/भूखण्ड एवं कियोस्क में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 30% आरक्षण रखा जावेगा एवं निःशक्तजन हेतु 3% दुकानें/भूखण्ड आरक्षित किये जावेंगे। आवेदकों की संख्या दुकानों की संख्या से अधिक होने पर, आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

अघोषित किये जाने वाले मण्डी प्रांगण में फुटकर श्रेणी के व्यवसाई, व्यवसायरत होने पर इन्हें नवीन मण्डी प्रांगण में प्राथमिकता से दुकान/भूखण्ड आवंटित किये जावेंगे। इस हेतु पात्रता के सम्बन्ध में उनके द्वारा सम्बन्धित विभाग से पंजीयन/अनुज्ञापत्र/ बिक्रीकर निर्धारण की प्रति, जैसी भी स्थिति हो, उसका वर्णन या इस हेतु इनकी पात्रता के लिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे व्यवसाई, गत पांच वर्षों में वास्तविक रूप से व्यवसायरत हों तथा उनके प्रमाणीकरण, सचिव, सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा किया जाना होगा। वही प्रस्तावित कार्यवाही के लिए मान्य होंगे।

संशोधन– उपशासन सचिव,कृषि (ग्रुप–2) विभाग,सचिवालय, जयपुर के पत्रांक प.4(12) कृषि/ग्रुप–2/2000 दिनांक 13.2.15 द्वारा जैविक उत्पाद विक्रय हेतु मण्डी समिति आवश्यकता के आकलन के आधार पर राज्य सरकार की पूर्वानुमति से दुकानों की संख्या बढा सकेगी।

12ए. राज्य के मंडी प्रांगणों में सहकारी क्षेत्र में ऑयल टेस्टिंग लैब स्थापित किये जाने हेतु 15′X20′ का भूखंड निशुल्क आवंटित किया जावेगा। जिन मंडी प्रांगणों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कृषि विभाग द्वारा संचालित नहीं है। ऐसे स्थानों पर उक्त सहकारी ऑयल टेस्टिंग लैब, मृदा परीक्षण का कार्य भी कर सकेगी।

कृषकों की कृषि उपज का ऑयल टेस्टिंग निशुल्क किया जावेगा। 30/– रुपये प्रति सैम्पल तक पर परीक्षण शुल्क उक्त सहकारी ऑयल टेस्टिंग लैब को मासिक रुप से उनके द्वारा किये गये परीक्षणों का पुनर्भरण संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा संबंधित सहकारी संस्था को किया जावेगा।

13. <u>अन्य व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु दुकानों के भूखण्डों का निस्तारण</u> :–

मण्डी क्षेत्र/प्रांगण के विकास एवं राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय साधनों के संग्रहण के लिए मण्डी समितियां अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये मण्डी प्रांगण की चारदिवारी पर स्थित एवं मण्डी प्रांगण के भीतर उपलब्ध अनुपयोगी भूमि एवं भवनों को 99 वर्षीय लीज पद्धति के आधार पर निर्धारित शर्तों पर नीलामी के द्वारा निस्तारण कर सकेगी। नीलामी हेतु आरक्षित दर डी.एल.सी. दर के समान होगी, परन्तु यह दर रीको के निकटस्थ क्षेत्र की आरक्षित दर से कम नहीं होगी।

14. <u>कोल्ड स्टोरेज एवं कृषि आधारित औद्योगिक (मूल्य संवर्धन) इकाई हेतु भूखण्ड आवंटन</u> :–

कृषि आधारित औद्योगिक (मूल्य संवर्धन) इकाईयों हेतु मंडी प्रांगणों में उपलब्ध भूखंड को 99 वर्षीय लीज पद्धति पर निकटस्थ रीको क्षेत्र की औद्योगिक दर को आरक्षित दर मानते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर किया जावेगा। लेकिन ग्रेडिंग, पैकिंग तथा अन्य कृषि व्यवसाय की गतिविधि कृषि उत्पाद में हानि कम करने हेतु कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि व्यवसाय उद्यमों को भूमि आवंटन प्रचलित औधोगिक आरक्षित दर के दो गुना दर पर किया जावेगा।

कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति–2010 के तहत मण्डी प्रांगण में खाद्य प्रसंस्करण हेतु निर्धारित क्षेत्र में सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र से कृषि उत्पाद क्रय कर प्रसंस्करण हेतु उपयोग करने वाले कृषि प्रसंस्करणकर्ता उद्यमों को मण्डी में नामित क्षेत्र की आरक्षित दर में 25% की छूट उपलब्ध करवाई जावेगी। विशिष्ठ मण्डियों के सम्बन्ध में यह छूट 50% होगी। इस प्रकार आवंटित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जावेगा। आवंटित भूमि को 2 वर्ष की अवधि में निर्धारित उपयोग में लेना होगा। निर्धारित अवधि में उपयोग नहीं किये जाने पर आवंटित भूमि स्वतः मण्डी समिति में निहित हो जायेगी।

15. <u>पेट्रोल पम्प एवं बड़े व्यवसायिक शोरूम के लिए भूखण्ड का आवंटन</u> :–

मण्डी प्रांगणों में पेट्रोल पम्प एवं बड़े व्यवसायिक शोरूम (जहां पर कृषि से संबंधित एवं कृषकों की अन्य आवश्यकताओं की समस्त वस्तुएं उपलब्ध हों) का आवंटन 99 वर्षीय लीज पद्धति पर डी.एल.सी. की 50% दर पर किया जावेगा।

परन्तु यह दर रीको के निकटस्थ क्षेत्र की आरक्षित दर से कम नहीं होगी।

यह प्रावधान कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों में उपयोग में आने वाले उत्पादों, यथा कृषि यंत्रों, कृषि आदानों, ट्रेक्टर आदि के विक्रय में विशिष्ठता रखने वाले रिटेल–चेन उद्यमों को मण्डी प्रांगणों में खुदरा विक्रय केन्द्र स्थापित करने के लिए भी लागू होगा।

16. <u>कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित औद्योगिक (मूल्य संवर्धन) इकाई, पेट्रोल पम्प एवं बड़े व्यवसायिक शोरूम के लिए आवंटन की प्रक्रिया</u> :–

(1) आवंटन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर किया जाएगा।

(2) आवंटन के लिए समुचित सूचना जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

(3) उपलब्ध भूखण्डों की तुलना में अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कोल्ड स्टोरेज एवं कृषि आधारित औद्योगिक इकाईयों के लिए भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से एवं पेट्रोल पम्प तथा बड़े व्यवसायिक शोरूमों के लिए भूखण्डों का आवंटन नीलामी पद्धति से किया जावेगा।

16–ए कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के तहत भूखंड आवंटनः–

1. कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के तहत भूखंड आवंटित किये जाने के लिए राज्य सरकार किसी भी मंडी समिति में उस क्षेत्र की मांग एवं अनुकूलता को दृष्टिगत रखते हुए स्थान/भूखंडों का चिन्हांकन कर सकेगी। ऐसा चिन्हांकन एक साथ किया जाएगा, अलग अलग आवेदन और उधोगों के लिये अलग–अलग नहीं।
2. कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के तहत भूखंड आवंटन के प्रार्थना पत्रों की जांच एवं पात्रता इस हेतु गठित समिति के द्वारा की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ मंडी समिति में आरक्षित/चिन्हांकित स्थान/भूखंडों में से भूखंड आवंटित करने हेतु जांच के उपरान्त समिति अपनी अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। समिति की अभिशंषा को दृष्टिगत रखते हुए भूमि आवंटन का राज्य सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाकर संबंधित मंडी समिति को तदनुरुप भूमि आवंटित करने के निर्देश जारी किये जायेंगे।
3. मंडी प्रांगण में खाद्य प्रसंस्करण हेतु निर्धारित/चिन्हांकित क्षेत्र में संबंधित मंडी क्षेत्र से कृषि उत्पाद (कच्चा माल) क्रय कर प्रसंस्करण हेतु उपयोग करने वाले कृषि प्रसंस्कर्ता उद्यमों को मंडी के नामित क्षेत्र की आरक्षित दर में 25% की छूट उपलब्ध करायी जायेगी। विशिष्ट मंडियों के संबंध में यह छूट 50% तक होगी। इस प्रकार आवंटित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकेगा। इस भूमि अथवा इसके किसी हिस्से का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर यह भूमि संबंधित कृषि उपज मंडी समिति को वापस आएगी। आवंटित भूमि को 2वर्ष की अवधि में निर्धारित उपयोग में लेना होगा।
4. ग्रेडिंग, पैकिंग तथा अन्य कृषि व्यवसाय की गतिविधि कृषि उत्पाद में हानि कम करने हेतु कोल्डस्टोरेज सहित कृषि व्यवसाय उद्यमों को भूमि आवंटन हेतु इस बिन्दु के उप बिन्दु 1 एवं 2 के अनुसार होगा एवं इस भूमि अथवा इसके किसी हिस्से का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर यह भूमि संबंधित मंडी समिति को वापस आएगी। आवंटित भूमि को 2वर्ष की अवधि में निर्धारित उपयोग में लेना होगा।

17. <u>मण्डी प्रांगणों में दुकानों के पीछे चिन्हित भूखण्ड/निर्मित गोदाम आवंटन</u> :–

(1) दुकान के पीछे गोदाम हेतु चिन्हित भूखण्ड – मण्डी प्रांगणों में आवंटित दुकानों के पीछे गोदाम हेतु चिन्हित भूखण्ड का आवंटन 99 वर्षीय लीज पद्धति पर किया जावेगा।

(2) दुकान के पीछे निर्मित गोदाम – मण्डी प्रांगणों में आवंटित दुकानों के पीछे निर्मित ऐसे गोदाम जिनका आवंटन नहीं किया हुआ है, का आवंटन 99 वर्षीय लीज पद्धति पर किया जावेगा।

(3) गोदाम के भूखण्ड के लिए आरक्षित दर/राशि डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत राशि होगी। निर्मित गोदाम की दर/राशि, भूखण्ड की दर/राशि में निर्माण की लागत जोड़कर निर्धारित की जावेगी।

(4) उपरोक्त अनुच्छेद 17(1) व 17(2) के अन्तर्गत आवंटन की शर्तें द्वितीय व पश्चातवर्ती आवंटन की शर्तों के अनुरूप होगी।

17(अ) मंडी प्रांगणों में निर्मित रिक्त ग्रामीण गोदामों को 99 वर्षीय लीज पर आवंटनः

मंडी प्रांगणों में निर्मित रिक्त ग्रामीण गोदामों को वर्तमान डी.एल.सी. दर की 50% राशि पर भूमि की लागत में निर्माण लागत निर्मित दुकानों की भांति प्रतिवर्ष 2% डेप्रिसिएशन करते हुए 99 वर्षीय लीज पद्धति पर आवंटन किये जा सकेंगे।

इनका आवंटन 99 वर्ष की लीज पद्धति पर किये जाने हेतु प्रक्रिया निम्नप्रकार होगीः–

1. मंडियों में ग्रामीण गोदाम का उपयोग कृषि जिन्सों के भण्डारण हेतु ही किया जावेगा।
2. भण्डारण हेतु कृषकों द्वारा भण्डारण किये जाने पर भण्डारण की दर राज. भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होगी।
3. ग्रामीण गोदाम हेतु विधिवत रुप से विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर लॉटरी से आवंटन किया जावेगा।
4. आवंटी को मंडी समिति से इस बाबत अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा।

18. <u>कृषक वर्ग के लिए दुकानों के भूखण्ड का आरक्षण, पात्रता एवं प्रक्रिया आदि</u> :–

(1) **<u>आरक्षण</u>**

(i) प्रत्येक नव निर्मित/विकसित किये जाने वाले मण्डी प्रांगणों में कृषकों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध दुकानों/भूखण्डों में से (फुटकर दुकानों के भूखण्डों को छोड़कर) 20% दुकानों/भूखण्डों का आरक्षण महिला कृषकों हेतु किया जायेगा। उक्त आरक्षित भूखण्डों/दुकानों में से क्रमशः 30% दुकान/भूखण्ड अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला हेतु आरक्षित किए जाकर निर्धारित प्रक्रियानुसार आवंटन किए जा सकेंगे ।

(ii) प्रत्येक ब्लॉक में उपलब्ध कुल भूखण्डों के 10% का आरक्षण लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

(iii) **(निदेशालय के पत्रांक प.5(155)निकृवि/आवंटन/2013/50300–440 दिनांक 8.3.2013 से संशोधन) अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के**

तहत प्रथम चरण,द्वितीय चरण तथा पश्चातवर्ती चरणों में आंवटित किये जाने वाले भूखण्ड में 20 प्रतिशत भूखण्ड महिला कृषक वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। उक्त 20 प्रतिशत भूखण्ड का आरक्षण लाटरी के माध्यम से किया जावेगा तथा आरक्षित किये गये भूखण्डों की सूची अलग से प्रदर्शित की जानी चाहिये।

(iv) **20 प्रतिशत भूखण्ड में से 30 प्रतिशत भूखण्ड अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला कृषक के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। सामान्य आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।**

(v) **इस आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित भूखण्ड का आधार 4 : 3 रखा जावे।**

(vi) **इस अनुपात की गणना करने पर यदि भूखण्डों की संख्या अंश में आवे तो 0.5 के ऊपर अंश होने पर पूर्ण भूखण्ड की गणना की जावेगी। विभिन्न वर्गो के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर सम्बन्धित वर्ग के लिए आरक्षित दुकानों का आवंटन उस वर्ग के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से लाटरी के आधार पर किया जावे।**

(vii) **यदि कोई अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का आवेदक सामान्य वर्ग के आधार पर भूखण्ड के लिए आवेदन करता है तो उसका प्रार्थना पत्र सामान्य वर्ग में सम्मिलित किया जावे और ऐसे आवेदक को अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित भूखण्ड में आवंटन के लिए पात्र नहीं माना जावे।**

(2) <u>पात्रता</u>

(i) ऐसी कृषक महिला जो स्वयं के नाम से राजस्व रिकार्ड में भूमिधारण करती हों अथवा जिनकी राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी (पुरूष/महिला) की भूमि हो, वे मण्डी प्रांगण में आवंटन हेतु पात्र होंगी तथा कृषक महिला की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मण्डी क्षेत्र में अवस्थित हो एवं कृषक महिला मण्डी क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करती हो।

(3) <u>आवंटन की प्रक्रिया</u>

कृषकों के लिए आरक्षित दुकानों का आवंटन पात्र कृषकों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर, लॉटरी पद्धति से सम्बन्धित चरण के आवंटन के लिए निर्धारित शर्तों पर किया जायेगा।

(4) <u>आरक्षित राशि एवं इसकी वसूली</u>

आरक्षित राशि का निर्धारण सम्बन्धित चरण के लिए आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होगा एवं आरक्षित राशि की वसूली की प्रक्रिया भी प्रथम चरण के आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी।

(5) **कृषकों द्वारा अनुज्ञापत्र लिया जाना**

भूखण्डों के आवंटन के पश्चात् आवंटी कृषकों को अधिसूचित कृषि जिन्सों के व्यवसाय के लिए मण्डी से अनुज्ञापत्र लेना होगा तथा आवंटित भूखण्ड पर केवल अधिसूचित कृषि जिन्सों का ही व्यवसाय किया जा सकेगा।

19. व्यापार संघ को भूखण्ड आवंटन :–

मण्डी प्रांगणों में भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में मण्डी समिति की श्रेणीवार निम्नानुसार साईज के भूखण्ड, स्थानीय व्यापार संघ को **डी.एल.सी. दर का ऐसा प्रतिशत जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जावे** पर 99 वर्षीय लीज पर आवंटित किये जा सकेंगे। भूखण्ड का आवंटन एक ही ऐसे व्यापार संघ को किया जा सकेगा जो कि मण्डी के सर्वाधिक अनुज्ञाधारियों का प्रतिनिधित्व करता हो।

''विशिष्ठ'' एवं ''अ'' श्रेणी	1000 वर्गमीटर
''ब'' व ''स'' श्रेणी	500 वर्गमीटर
''द'' श्रेणी	300 वर्गमीटर

20. लीज की शर्तें :–

मण्डी प्रांगणों में लीज पर आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों एवं दुकानों, गोदामों व अन्य भवनों व प्रयोजनों के लिए लीज की शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

21. मण्डी प्रांगणों में उपलब्ध भवन एवं भूमि का आवंटन :–

(1) मण्डी प्रांगणों में उपलब्ध भवन, बैंकों, सरकारी विभागों, सहकारी संस्थाओं, राजकीय उपक्रमों, निगमों, मण्डलों व स्थानीय निकायों आदि को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराये पर उपलब्ध कराये जा सकेंगें।

(2) मण्डी प्रांगणों में उपलब्ध भूमि सरकारी विभागों, सहकारी संस्थाओं, राजकीय उपक्रमों, निगमों, मण्डलों, स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर आवंटित की जा सकेगी।

नवीन प्रावधान– निदेशालय के पत्रांक प.5(155)निकृवि/आवंटन/2010/33952–34090 दिनांक 5.10.10

2(i) कय विक्रय सहकारी समितियों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दुकान/गोदाम हेतु भूखण्ड डी.एल.सी. की 25 प्रतिशत दर पर एवं निर्मित दुकान/गोदाम का आवंटन संबंधित मण्डी समिति में जिस दर पर प्रथम चरण का आवंटन किया गया था उस दर पर आंवटन किया जायेगा।

22. उपयोग परिवर्तन :–

मण्डी प्रांगणों में विभिन्न उपयोग हेतु निर्मित परिसम्पत्तियों का निर्धारित प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं होने की दशा में मण्डी समिति द्वारा उनका वैकल्पिक उपयोग निदेशक की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

23. आवंटन शुल्क/लीज राशि एवं अन्य बकाया की वसूली :–

इस नीति के अन्तर्गत बकाया राशि यथा आवंटन/लीज राशि/विलम्ब शुल्क एवं अन्य बकाया की वसूली राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

इस नीति की प्रभावशीलता के पश्चात् इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी निर्देशों एवं परिपत्रों में कोई भी विपरीत व्यवस्था होने पर इस नीति में वर्णित व्यवस्था का Overriding प्रभाव होगा, परन्तु ऐसे निर्देशों एवं परिपत्रों के तहत इस नीति के प्रभाव में आने से पूर्व की गयी कोई भी कार्यवाही इससे प्रभावित नहीं होगी।

24. नया प्रावधान :–

मण्डी प्रांगणों में 'ख' वर्ग दलालों को भूखण्ड आवंटन हेतु सम्भाग मुख्यालय पर स्थित मण्डी प्रांगणों में 1000 वर्ग मीटर का भूखण्ड अन्य मुख्य/गौण मण्डी प्रांगणों में 750 वर्ग मीटर का भूखण्ड डी.एल.सी. की दर पर रजिस्टर्ड 'ख' वर्ग दलाल संघ को आवंटित किया जावेगा। प्रस्तावित 1000 वर्ग मीटर एवं 750 वर्ग मीटर भूखण्ड मण्डी प्रांगणों में स्वयं दलालों के द्वारा अपने खर्चे से खुद को निर्माण कराना होगा। तत्पश्चात निर्माण से पूर्व आवंटन प्रक्रिया नियमों में प्रस्तावित प्रक्रिया के तहत वरीयता एवं टर्न ओवर के अनुरूप सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति की देखरेख में कार्यवाही संघ के साथ मिलकर की जावेगी। जिसका अनुमोदन आवंटन प्रक्रिया के नियमों के तहत निदेशालय, कृषि विपणन द्वारा लिया जाना होगा। तदानुरूप कार्यवाही मान्य होगी।

इस नीति के बिन्दु सं. 12 के तहत आवंटित की जाने वाली भूखण्डों/ फुटकर दुकानों, बिन्दु सं. 13 के तहत आवंटित की जाने वाली अन्य व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु दुकानों के भूखण्डों, बिन्दु सं. 14 के तहत कोल्ड स्टोरेज एवं कृषि आधारित औद्योगिक ईकाइयों हेतु आमंत्रित की जाने वाले भूखण्डों, बिन्दु सं. 15 के तहत पेट्रोल पम्प एवं बडे व्यवसायिक शोरूम हेतु आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों, बिन्दु सं. 19 के तहत व्यापार संघ हेतु आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों, बिन्दु सं. 21 के तहत बैंक भवन/सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय, राजकीय उपक्रमों आदि के लिए आवंटित होने वाले भूखण्डों के संबंध में लीज राशि 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी । इसमें प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात 25 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी । आवंटी द्वारा लीज राशि की 10 गुणा राशि एक मुश्त जमा कराने पर आवंटी को भविष्य में लीज के भुगतान से मुक्त किया जा सकेगा ।

अनुलग्नक 'अ'

प्रथम चरण के आवंटन हेतु प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र आमंत्रित करना :–

(1) नव निर्माणाधीन एवं भविष्य में निर्मित किये जाने वाले यार्डों की चारदीवारी पूर्ण होने के साथ ही मण्डी समिति द्वारा मुख्य मण्डी/गौण मण्डी एवं मण्डी क्षेत्र के ''क'' वर्ग दलालों/संयुक्त व्यापारी/व्यापारी वर्ग के अनुज्ञापत्रधारियों से दुकानों के भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र, निर्धारित तिथि तक, आमंत्रित किये जायेंगें। इस हेतु कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जावेगी।

(2) आवेदन पत्र के फार्म निर्धारित मूल्य पर मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगें।

(3) दुकानों के आवंटन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के लिए मण्डी समिति द्वारा पृथक से एक प्राप्ति रजिस्टर खोला जावेगा एवं उसमें प्राप्त प्रार्थना पत्रों का इन्द्राज किया जायेगा।

2. दुकानों के आवंटन हेतु अंकों का निर्धारण, प्राप्त प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों का सत्यापन एवं वरीयता निर्धारण :–

(1) आवेदकों की वरीयता निर्धारित करने हेतु कुल 100 अंक रखे जावेंगें, जिसमें अनुज्ञापत्र अवधि के 10, मण्डी शुल्क के 30 एवं टर्न–ओवर के 60 अंक होंगे।

(2) अनुज्ञापत्र की अवधि के लिए अनुज्ञापत्रधारी को प्रत्येक पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए एक अंक दिया जायेगा एवं अधिकतम 10 अंक दिये जायेंगे।

(3) मुख्य मण्डी प्रांगण के आवंटन में 5 हजार रूपये के औसत वार्षिक मण्डी शुल्क एवं 5 लाख रूपये के औसत वार्षिक टर्न–ओवर पर शून्य अंक दिये जायेंगें। इसके पश्चात् प्रत्येक 5 हजार के औसत वार्षिक मण्डी शुल्क एवं 5 लाख रूपये के औसत वार्षिक टर्न–ओवर पर क्रमशः एक–एक अंक दिये जायेंगे। उक्त अधिकतम अंक क्रमशः 30 व 60 होंगे।

(4) गौण मण्डी यार्ड के आवंटन में एक हजार रू. मण्डी शुल्क एवं 2.50 लाख रूपये के औसत वार्षिक टर्न–ओवर पर शून्य एवं इनकी इसी दर से वृद्धि पर क्रमशः एक–एक अंक दिया जावेगा। उक्त अधिकतम अंक क्रमशः 30 व 60 होंगे।

(5) अंकों के निर्धारण में केवल पूर्ण वित्तीय वर्षों के लिए ही अनुज्ञापत्र, औसत मण्डी शुल्क व औसत टर्न–ओवर के अंक ही दिए जायेंगे।

(6) समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में अनुज्ञापत्र जारी करने की तिथि के अनुसार अधिकतम अवधि वाले अनुज्ञापत्रधारी को वरीयता दी जायेगी। यदि अनुज्ञापत्र जारी करने की तिथि एक समान हो तो मण्डी शुल्क भुगतान की राशि के आधार पर अधिक मण्डी शुल्क भुगतान करने वाले को वरीयता दी जाएगी।

3. **वरीयता निर्धारण हेतु वार्षिक औसत निकालने की प्रक्रिया** :–

(1) वार्षिक औसत मण्डी शुल्क व टर्न–ओवर निकालने के लिए विज्ञप्ति जारी होने के ठीक पूर्व के तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के आंकड़े जोड़कर एवं 3 का भाग देकर वार्षिक औसत निकाला जायेगा।

(2) आवेदकों द्वारा मण्डी शुल्क एवं टर्न–ओवर के आंकड़े उन्हीं लेखों (Account) के आधार पर दिये जायेंगें जिनके आधार पर उन्होंने मण्डी शुल्क व बिक्री कर चुकाया है। प्रार्थना पत्र के साथ आवेदकों को एक इस आशय का शपथ–पत्र, दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराकर देना होगा कि जो मण्डी शुल्क व टर्न–ओवर के आंकड़े आवेदन पत्र में दिये गये हैं, वे फर्म की लेखा पुस्तकों (Account Book) के आधार पर दिये गये हैं तथा इनके आधार पर ही बिक्री–कर एवं आयकर चुकाया गया है। यदि किसी आवेदक द्वारा न तो बिक्री–कर दिया जाता है और न ही आयकर दिया जाता है तो उस स्थिति में यह आंकड़े उनके द्वारा संधारित रिकार्ड के आधार पर होंगे। टर्न–ओवर के प्रमाण के लिए बिक्री–कर व आयकर निर्धारण आदेश की प्रति पेश करनी अनिवार्य होगी।

(3) आवेदक का मण्डी शुल्क वह मान्य होगा जो मण्डी समिति रिकार्ड के अनुसार जमा है।

(4) जहां आवेदक मण्डी सचिव के नोटिस के बावजूद भी टर्न–ओवर के आंकड़े अपने रिकार्ड से सत्यापित कराने मे विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में उस आवेदक द्वारा जमा कराये गये मण्डी शुल्क के आधार पर टर्न–ओवर निकाल लिया जायेगा, जो आवेदक को मान्य होगा।

4. **आंकड़ों का सत्यापन** :–

अनुज्ञापत्र अवधि, मण्डी शुल्क एवं टर्न–ओवर के आंकड़ों का सत्यापन आवेदकों की लेखा पुस्तकों (Account Books) से मण्डी समिति के सचिव द्वारा किया जावेगा। आंकड़ों का मिलान मण्डी में उपलब्ध रिकार्ड से भी किया जावेगा। मिलान किये जाने का सत्यापन सचिव द्वारा इन आंकड़ों की शीट पर अपने हस्ताक्षरों से अंकित किया जाएगा।

5. **दुकानों का नम्बरिंग** :–

दुकानों का नम्बरिंग, आवंटन समिति द्वारा अस्थाई वरीयता सूची के प्रकाशन से पूर्व किया जाएगा।

6. **अस्थाई वरीयता सूची का प्रकाशन** :–

(1) सचिव मण्डी समिति द्वारा आवेदन–कर्ताओं द्वारा आवेदन पत्रों में दिये आंकड़ों के आधार पर अस्थाई वरीयता सूची तैयार की जाकर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जावेगी। इसकी एक प्रति आवंटन समिति के सदस्यों को एवं सम्बन्धित व्यापार मण्डल के अध्यक्ष को, सभी आवेदन–कर्ताओं को सूचित करने के उद्देश्य से, उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) अस्थाई वरीयता सूची प्रकाशन की सूचना दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जावेगी।

(3) मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर अस्थायी वरीयता सूची के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की अवधि में आवेदकों द्वारा अस्थाई वरीयता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियां मण्डी समिति कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों पर आवंटन समिति निर्णय करेगी एवं समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

7. <u>आवंटन समिति की बैठक व अन्तिम वरीयता तैयार करना</u> :–

(1) मण्डी समिति के सचिव के द्वारा उक्त प्रक्रिया अनुसार सत्यापित आंकड़ों के आधार पर जारी की गई अस्थाई वरीयता सूची, सत्यापित आंकड़े एवं तत्सम्बन्धी समस्त अभिलेख आंवटन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे। आवंटन समिति प्राप्त प्रार्थना पत्रों, सूचनाओं, मण्डी समिति द्वारा किये गये आंकड़ों के सत्यापन, अस्थाई वरीयता सूची के प्रकाशन पश्चात् आवेदकों से प्राप्त आपत्तियों पर निर्णय कर आवेदकों की अन्तिम वरीयता सूची तैयार करेगी एवं दुकानों/भूखण्डों का आवंटन, आवंटन नीति में प्रावधित प्रक्रिया के अनुसार करेगी।

(2) सचिव मण्डी समिति द्वारा आवंटन समिति की बैठक का नोटिस निर्धारित तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व जारी किया जावेगा।

8. आवंटन के पात्र आवेदकों को वरीयता क्रम के अनुसार दुकान/दुकानों के भूखण्ड का चयन करने का अवसर प्रदान किया जावेगा। उपलब्ध दुकानों के भूखण्डों/दुकानों में से वरीयताधारी को वरीयता क्रम से आवंटन समिति के समक्ष उपस्थित होकर उपलब्ध दुकानों के भूखण्ड/दुकानों में से दुकानों के भूखण्ड/दुकान का चयन करना होगा। वरीयताधारी आवेदक द्वारा किये गये दुकान के भूखण्ड/दुकान के चयन की पसन्द (Preference) व्यापार मण्डल के अध्यक्ष अथवा आवंटन समिति के किसी अन्य सदस्य से सत्यापित कराकर लिखित में आवंटन समिति को देनी होगी। आवंटन समिति द्वारा प्रथम वरीयताधारी को दिये गये दुकानों के भूखण्ड/दुकान के समक्ष क्रॉस अंकित कर सहमति स्वरूप वरीयताधारी के हस्ताक्षर कराये जाएंगें। इसके उपरांत अगले वरीयताधारी को बुलाया जावेगा एवं यह क्रम आवंटन पूर्ण होने तक जारी रहेगा। जो आवेदक अपनी वरीयता (पसन्द) बताने मे असफल रहेगा, ऐसे असफल वरीयताधारियों को आवंटन समिति द्वारा शेष रही दुकानों के भूखण्डों/दुकानों में से लॉटरी पद्धति से आवंटन किया जावेगा।

9. मण्डी प्रांगणों में आवंटित दुकानों/गोदामों/भूखण्डों का कब्जा दिये जाने से पूर्व निदेशक कृषि विपणन से आवंटन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

10. मण्डी समिति द्वारा आवंटन सूची का प्रकाशन मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर किया जायेगा एवं आवंटियों को आवंटन की सूचना रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा दी जाएगी।

11. आवंटन से 30 दिन अथवा मण्डी समिति द्वारा निर्धारित तिथि, जो भी पहले हो, तक आवंटन की सभी शर्तों की पूर्ति कर आवंटी द्वारा आवंटित दुकान/दुकान के भूखण्ड का कब्जा लेना होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त समझा जायेगा।

अनुलग्नक 'ब'

राज्य सरकार द्वारा घेषित ''जिन्स विशिष्ठ मण्डी प्रांगणों''में किये जाने वाले भूखण्डों के आवंटन हेतु पत्रांकः प.5 (30)निकृवि/आवंटन/16000–16134 दिनांक : 27.08.07 के द्वारा निर्धारित एवं निदेशालय के पत्रांकः प.5(63)निकृवि/आवंटन/38797–932 दि0 15.02.08 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के प्रावधानों में पत्रांकः प.5(155)निकृवि/आवंटन/8872–9007 दि0 18.06.10 के अनुसार संशोधित प्रावधानों/ आरक्षित दर/प्रक्रिया का विवरण, जिसके अनुसार जिन्स विशिष्ठ मण्डी प्रांगणों में भूखण्डों का आवंटन ''अचल सम्पत्ति आवंटन नीति–2005'' के प्रावधानों एवं शर्तो के अधीन किया जायेगा :–

नोट – कृषि विपणन निदेशालय के आदेश कमांक प.5(155)निकृवि/आवंटन/2012/20335–478 दिनांक 29.8.12 के द्वारा आदेश कमांक प.5(155)निकृवि/आवंटन/8872–9007 दि0 18.06.10 को प्रत्याहरित किया गया।

1. कृषि जिन्सो के निर्यातको, राज्य से बाहर के व्यवसाईयो, जिन्स विशिष्ठ की मूल्य संवर्द्धन/ औद्योगिक ईकाई व मूल्य संवर्द्धन उत्पादों के सीधे निर्यातकों द्वारा मण्डी प्रांगण से कृषि जिन्सों की खरीद आरम्भ करने पर ऐसे निर्यातकों को कुल उपलब्ध भूखण्डों का 25% आरक्षित कर समीपस्थ क्षेत्र की डी.एल.सी. की व्यवसायिक दर की 50% दर पर लॉटरी पद्धति से भूखण्ड आवंटित किये जावेंगे। भूखण्डों की संख्या की तुलना में आवेदन पत्र अधिक प्राप्त होने पर भूखण्डों का आवंटन निलामी पद्धति से किया जावेगा ।
2. संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र के व्यवसाईयों को घोषित जिन्स विशिष्ठ मण्डी प्रांगणों में भूखण्ड आवंटन हेतु संबंधित मण्डी समिति द्वारा समुचित सूचना जारी कर इच्छुकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर समीपस्थ क्षेत्र की डी.एल. सी. की व्यवसायिक दर की 50% दर एवं अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 में प्रथम चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर के प्रावधानानुसार अंकलित होने वाली दर में से जो भी अधिक हो, पर लॉटरी पद्वति से भूखण्ड आंवटित किये जावेगे।
3. जिन्स विशिष्ठ मण्डी प्रांगणों में भी कृषकों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आवंटन नीति के प्रावधानान्तर्गत भूखण्ड आरक्षित कर आवंटित किये जावेंगे ।
4. ऐसे विशिष्ठ मण्डी प्रांगण जहां विद्यमान मण्डी प्रांगण से पृथक यार्ड निर्मित कराये गये हैं, उन मण्डी प्रांगणों में जिन्स विशिष्ठ के अतिरिक्त विज्ञप्त कृषि जिन्सों का व्यवसाय भी स्थानान्तरित कराया जा सकेगा किन्तु जिन्स विशिष्ट के अतिरिक्त व्यवसाय करने वाले व्यवसाईयों को भूखण्डों का आवंटन मण्डी समिति के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही किया जा सकेगा।
5. ऐसे नव इच्छुक व्यवसाई जो जिन्स विशिष्ठ मण्डी में भूखण्ड आवंटन चाहते हैं उनसे मण्डी समिति द्वारा समुचित सूचना जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित कर लाटरी पद्धति से भूखण्ड आवंटित किये जावेंगे । नव इच्छुक व्यवसाईयो द्वारा जिन्स विशिष्ठ का 1 करोड़ रूपये का वार्षिक टर्न ओवर अथवा नेटवर्थ 10 करोड़ रूपये होना आवश्यक होगी। फल सब्जी जिन्स विशिष्ठ मण्डियो में उक्त पात्रता 50 लाख रूपये का वार्षिक टर्न ओवर अथवा नेटवर्थ 5 करोड़ रूपये होगी। भूखण्डों की

संख्या की तुलना में आवेदन पत्र अधिक प्राप्त होने पर भूखण्डों का आवंटन निलामी पद्धति से किया जावेगा। (निदेशालय के पत्रांकः प.5(30) निकृवि/आवंटन/20273 दिनांक 27.09.07 के अनुसार नव इच्छुक व्यवसाईयों को बिन्दु सं0 1 के प्रावधान में शामिल कर आवंटन पर विचार किया जाना अपेक्षित है)

6. जिन्स विशिष्ठ मण्डी में प्रथम चरण के तहत दुकान/भूखण्ड आवंटन वक्त विद्यमान मण्डी प्रांगणों में दुकान/भूखण्ड आवंटी व्यापारी भी आवेदन कर सकेंगे किन्तु पूर्व आवंटित दुकान/भूखण्ड पर जिन्स विशिष्ठ का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा ।
7. विशिष्ठ जिंस मण्डी प्रांगणों में निर्यातकों, जिन्स विशिष्ठ की मूल्य संवर्धन/औद्योगिक इकाईयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत छूट देय होगी ।

जिन्स विशिष्ठ मण्डी प्रांगणों में भूखण्डों का आवंटन उक्तानुसार प्रक्रिया से अचल सम्पत्ति आवंटन नीति–2005 के प्रावधानों एवं शर्तो के अधीन किया जावेगा ।

अतः जिन्स विशिष्ठ भूखण्ड आवंटन हेतु उक्तानुसार आवंटन प्रक्रिया निर्धारित कर निर्देश है कि भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें ।

उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–2) विभाग प. 4(12)कृषि/ग्रुप–2/2000 पार्ट दिनांक 25.10.12 के द्वारा इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 18.3.2010 एवं 18.10.2010 जिनके द्वारा मण्डी समितियों में आवंटित दुकान/भूखण्ड परिवर्तन की प्रकिया निर्धारित की गई थी, को अग्रिम आदेशों तक आस्थगित (Kept in abeyance) किया जाता है।

Chapter-VI

ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

प्रशासनिक प्रकोष्ठ :–

1. संस्थापन कार्य
2. वरिष्ठता सूची जारी करना
3. पदोन्नति आदेश
4. स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश
5. संस्थापन शाखा से जारी परिपत्र
6. वेतन स्थरीकरण

लेखा प्रवर्ग :–

1. विभागीय बजट
2. मण्डी बजट (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां)
3. विभागीय अंकेक्षण
4. महालेखाकार, निरीक्षण की पालना
5. मण्डी विकास कोष से संबंधित
6. राजीव गॉधी कृषक साथी योजना
7. पेंशन/पेंशन कोष से संबंधित
8. मण्डी कर्मचारी कल्याण कोष

जांच :–

1. विभागीय जांच
2. प्राथमिक जांच
3. मण्डी कर्मचारी जांच

नियमन :–

1. मण्डी नियमन
2. अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव भेजना
3. निजी उप ई–मार्केट एवं उप निजी मण्डियों का अनुज्ञापत्र जारी करना
4. मण्डी सुविधा
5. नवीन मण्डी/गौण मण्डी की स्थापना

भूमि अवाप्तिः– भूमि अवाप्ति संबंधी रिकार्ड

आवंटन :–

1. भूखण्ड एवं दुकानों के आवंटन का अनुमोदन
2. आवंटन नीति का निर्धारण
3. भूखण्ड एवं दुकानों का नाम परिवर्तन, किराया निर्धारण करवाना

विधि शाखा :–

1. वादों की सूचना
2. कोर्ट द्वारा पारित किए गये निर्णय
3. कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों की सूचना
4. विभाग से संबंधित समस्त विधिक राय

सांख्यिकी शाखा :–

1. विभागीय सांख्यिकी सूचना
2. मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
3. आवक मूल्यांकन
4. मण्डी शुल्क प्रगति
5. विभागीय/राज्य स्तरीय बैठक

परिज्ञान :– कृषि जिन्सों के मण्डी दैनिक भाव आवक

एगमार्क :– गुण नियन्त्रण एवं वर्गीकरण कार्य

सूचना का अधिकार

Chapter-VII

किसी व्यवस्था की विशिष्ठयां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।

विभाग से संबंधित नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर ही नीति निर्धारित की जाती है एवं क्रियान्वयन किया जाता है। जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त अभाव अभियोगों को प्राथमिकता से एवं नियमान्तर्गत निस्तारण किया जाता है।

Chapter-VIII

ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुंच होगी

कृषि विपणन विभाग राजस्थान सरकार का लोक जन सेवा का कार्यालय है। विभाग की अधिनस्थ सभी कृषि उपज मण्डी समितियों में 17 सदस्यी (12 निर्वाचित, 5 मनोनीत, विशिष्ट व ''अ'' श्रेणी मण्डी समिति) तथा 11 सदस्यी (8 निर्वाचित, 3 मनोनीत) मण्डी समितियों का गठन किया गया है। कृषको की कृषि विपणन से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण तथा कृषि उपज मण्डियों में विपणन सुविधाओं के विकास हेतु इन मण्डी समितियों द्वारा प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिये जाते है तथा प्रस्ताव का अनुमोदन निदेशालय स्तर पर किया जाता है ।

कृषि उपज मण्डी समितियों मे निर्वाचित अध्यक्ष/प्रशासक की सूची

क्र.स.	मण्डी का नाम	श्रेणी	अध्यक्ष पद का वर्ग	निर्वाचित अध्यक्ष/प्रशासक
अजमेर खण्ड				
1	अजमेर (अनाज)	B	अ.ज.जा.	श्रीमती हंगामी देवी
2	अजमेर (फल सब्जी)	C	सामान्य	श्रीमती रेनू
3	ब्यावर	C	अ.ज.जा. महिला	श्रीमती धीसी देवी
4	विजयनगर	B	अ.पि.व.	श्री पांचूराम
5	केकडी	C	अ.जा.	श्रीमती सायरी देवी
6	मदनगंज किशनगढ	C	अ.ज.जा. महिला	श्रीमती गीता देवी
7	भीलवाडा	A	अ.पि.व. महिला	श्रीमती अनोपी
8	गंगापुर	C	सामान्य	श्री विष्णु सुवालका
9	माण्डलगढ	D	महिला	श्रीमती गणपत कॅवर
10	बिजौलिया	D	महिला	श्रीमती प्रेम कंवर
11	देवली	C	सामान्य	श्री देबीलाल
12	मालपुरा	B	अ.पि.व. महिला	श्रीमती आशा नामा
13	निवाई	A	महिला	श्रीमती प्रियंका शर्मा
14	टोंक	C	महिला	श्रीमती सुमन

15	उनियारा	D	अ.पि.व. महिला	श्रीमती मन्नी
अलवर खण्ड				
16	अलवर	SA	सामान्य	श्री छज्जूसिंह
17	खैरथल	SA	अ.पि.व.	श्री राजेन्द्रसिह यादव
18	खेरली	A	सामान्य	उपखण्ड अधिकारी कठूमर
19	बयाना	B	अ.पि.व.	श्री देवीसिंह
20	भरतपुर	SA	अ.पि.व. महिला	श्रीमती सपना
21	डीग	C	अ.पि.व.	श्रीमती चन्दादेवी
22	कांमा	C	सामान्य	श्री फारूख
23	नदबई	C	महिला	श्रीमती सुनीता
24	नगर	B	महिला	श्रीमती रामकला
25	धौलपुर	B	महिला	श्रीमती सरला देवी
26	बडौदामेव	C	अ.ज.जा.	श्री फूलचन्द
बीकानेर				
27	बीकानेर (फ.स. व ऊन)	A	सामान्य	श्रीमती रामा देवी
28	बीकानेर (अनाज)	SA	सामान्य	श्री सहीराम
29	खाजूवाला	C	महिला	श्रीमती हजारा
30	लूणकरणसर	C	सामान्य	श्री बाबू खां
31	नोखा	B	सामान्य	श्री भगवानाराम
32	चूरू	D	महिला	श्रीमती प्रकाश देवी
33	रतनगढ	C	महिला	श्रीमती इमरती
34	सादुलपुर	C	महिला	श्रीमती चन्द्रावली देवी
35	सरदारशहर	D	अ.पि.व.	श्री इन्द्राज
36	श्रीडूगरगढ	D	महिला	श्रीमती तीजा
37	सुजानगढ	C	महिला	श्रीमती राजू देवी
हनुमानगढ खण्ड				
38	भादरा	D	अ.पि.व.	श्रीमती इन्द्रा देवी
39	गोलूवाला	B	सामान्य	श्री ओम प्रकाश
40	हनुमानगढ	SA	अ.जा.	उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्रशासक
41	नोहर	C	अ.पि.व.	श्री बलवीर
42	पीलीबंगा	A	अ.जा. महिला	श्रीमती सावित्री देवी
43	रावतसर	A	अ.पि.व. महिला	श्रीमती शारदा
44	संगरिया	A	अ.जा. महिला	श्रीमती श्यामकौर
45	सादुलशहर	A	महिला	श्रीमती प्रभजोत कौर
46	सूरतगढ	B	अ.ज. जाति	श्री सन्तूसिंह
जयपुर खण्ड				
47	बांदीकुई	C	अ.ज.जा.	श्रीमती कैलाशी देवी
48	दौसा	B	महिला	श्रीमती कैलाशी देवी
49	लालसोट	B	सामान्य	श्रीमती कैलाशी देवी
50	महुआ मण्डावर	C	अ.ज.जा.	श्री सीताराम

51	मण्डावरी	D	अ.पि.व. महिला	श्रीमती रज्जो देवी सैनी
52	चाकसू	C	सामान्य	श्री हरिनारायण चौधरी
53	चौमू	SA	सामान्य	श्री सावरमल
54	जयपुर (फल सब्जी)	SA	अ.जा. महिला	श्रीमती रूकमा बाला सोयल
55	जयपुर (अनाज)	SA	अ.पि.व.	श्रीमती शारदा साध
56	किशनगढ रेनवाल	C	महिला	श्रीमती फुली देवी
57	कोटपुतली	C	महिला	श्रीमती विमला
जोधपुर खण्ड				
58	बालोतरा	D	महिला	श्रीमती रसीदा बानो
59	बाडमेर	A	महिला	श्रीमती नैनू देवी
60	जैसलमेर	C	अ.पि.व. महिला	श्रीमती भंवरी
61	भीनमाल	C	महिला	श्रीमती सूबटी देवी
62	जालोर	D	अ.पि.व. महिला	श्रीमती मंजू देवी
63	सांचौर	D	सामान्य	श्रीमती एलची देवी
64	बिलाडा	D	महिला	श्रीमती संतोष कंवर
65	जोधपुर (अनाज)	SA	अ.ज.जा. महिला	श्रीमती कीर्ती सिंह
66	जोधपुर (फल सब्जी)	A	महिला	श्रीमती गैरी देवी
67	फलौदी	D	अ.जा. महिला	श्रीमती हीरा देवी मेघवाल
68	पीपाडसिंटी	D	अ.पि.व.	श्रीमती प्रेमी
69	जैतारण	D	अ.ज.जा. महिला	श्रीमती अनिता मीणा
70	पाली	C	महिला	श्रीमती दुरगा कंवर
71	रानी	D	सामान्य	श्री गिरधारीसिंह मेडतिया
72	सोजतरोड	A	अ.ज.जा.	श्री मिश्री लाल मीणा
73	सुमेरपुर	A	अ.ज.जा.	श्री नवाराम
74	रानीवाडा	D		श्री निमाराम मेधवाल
कोटा खण्ड				
75	अटरू	C	महिला	श्रीमती गुडडी बाई
76	अन्ता	C	अ.जा. महिला	श्रीमती कानी बाई मेधवाल
77	बांरा	SA	सामान्य	श्री प्रदीप कुमार काबरा
78	छबडा	A	सामान्य	श्रीमती सीमा जैन
79	बून्दी	SA	सामान्य	श्री कमलेश
80	केशोरायपाटन	C	अ.पि.व.	श्री भोजराज
81	सुमेरगंज	D	अ.पि.व. महिला	श्रीमती आशारानी गुप्ता
82	भवानीमण्डी	SA	सामान्य	श्री गजेन्द्रसिंह
83	इकलेरा	C	अ.जा. महिला	श्रीमती मांगी बाई
84	झालरापाटन	A	अ.पि.व.	श्रीमती फूल बाई
85	खानपुर	C	सामान्य	श्री शिवराजसिंह
86	हिण्डौन	D	सामान्य	श्रीमती शकुन्तला मीणा
87	इटावा	A	अ.जा.	श्री जगदीश

88	कोटा (अनाज)	SA	अ.पि.व. महिला	श्रीमती चौधरी बाई
89	कोटा (फल सब्जी)	A	अ.पि.व.	श्री ओमप्रकाश मालव
90	रामगंजमण्डी	SA	अ.जा.	श्री नरेन्द्र कुमार
91	गंगापुरसिंटी	A	सामान्य	श्रीमती राजंती
92	सवाईमाधोपुर	A	महिला	श्रीमती रेशमा बानो
93	देई	C		श्री हेमराज नागर
94	चौमेहला	A		श्री गोविन्दसिंह
सीकर खण्ड				
95	चिडावा	D	महिला	श्रीमती रूडती
96	झून्झूनु	C	अ.जा.	श्रीमती पूनम
97	नवलगढ	C	अ.जा.	श्री ताराचन्द
98	सूरजगढ	D	महिला	श्रीमती मनोहरी देवी
99	डीडवाना	C	अ.ज.जा.	श्री बजरंग लाल
100	डेगाना	C	अ.जा.	श्री सीताराम
101	कुचामनसिटी	C	अ.ज.जा. महिला	श्रीमती सन्तोष मीना
102	मेडतासिटी	A	सामान्य	श्री बाबूलाल
103	नागौर	A	अ.ज.जा. महिला	श्रीमती मथुरा देवी मीणा
104	फतेहपुर	C	सामान्य	श्री राजेन्द्र ढाका
105	नीम का थाना	D	महिला	श्रीमती कमली देवी
106	सीकर	A	अ.जा. महिला	श्रीमती संजू उर्फ सोनम
107	श्रीमाधोपुर	A	महिला	श्रीमती मोहन कंवर
श्रीगंगानगर खण्ड				
108	अनूपगढ	A	सामान्य	श्री हेतराम
109	गजसिहपुर	B	अ.जा.	श्री जसवन्त सिंह
110	घडसाना	B	अ.पि.व	श्री सत्यप्रकाश
111	जैतसर	C	अ.पि.व महिला	श्रीमती विद्या देवी
112	केसरीसिंहपुर	C	अ.ज.जा. महिला	श्रीमती सोनू
113	पदमपुर	A	अ.जा. महिला	श्रीमती मनदीप कौर
114	रायसिंहनगर	A	अ.जा. महिला	श्रीमती इन्द्रा नायक
115	रावला	C	अ.जा.	श्रीमती शिवरी
116	रिडमलसर	D	अ.पि.व	श्री संदीप
117	श्रीगंगानगर (अनाज)	SA	महिला	श्रीमती रमनप्रीत कौर
118	श्रीगंगानगर (फ.स.)	B	अ.ज.जा. महिला	श्रीमती विमला देवी
119	श्रीकरणपुर	B	अ.पि.व महिला	श्रीमती सविता
120	श्री विजयनगर	A	सामान्य	श्री राजेन्द्रसिंह
उदयपुर खण्ड				
121	बांसवाडा	C	महिला	श्रीमती शारदा
122	बडीसादडी	D	महिला	श्रीमती सुमित्रा देवी
123	बेगू	D	सामान्य	श्री देवीलाल धाकड
124	चित्तौडगढ	C	अ.पि.व महिला	श्रीमती गुलाबी बाई
125	कपासन	D	सामान्य	श्रीमती रोशी देवी

126	निम्बाहेडा	B	महिला	श्रीमती शान्ति बाई
127	प्रतापगढ	A	सामान्य	श्री सुरेन्द कुमार
128	डूगरपुर	D	अ.जा. महिला	श्रीमती चम्पा
129	राजसंमन्द	C	सामान्य	श्री लक्ष्मण दास
130	आबूरोड	D	सामान्य	श्री ईश्वर सिह
131	फतेहनगर	C	सामान्य	श्रीमती कृष्णा पालीवाल
132	उदयपुर (फल सब्जी)	C	सामान्य	श्री मोडसिह सिसोदिया
133	उदयपुर (अनाज)	A	अ.पि.व महिला	श्रीमती मगनी बाई पटेल

Chapter-IX

अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम
1.	श्री दिनेश कुमार यादव	निदेशक 2227115 (कार्यालय)
2.	श्री जुगलकिशोर शर्मा	वित्तीय सलाहकार 2227850 (कार्यालय)
3.	श्री बी.एल.मीना	संयुक्त निदेशक 2227640 (कार्यालय)
4.	श्री नरेश कुमार यादव	उप निदेशक
5.	श्री केसरसिंह	उप निदेशक
6.	श्री प्रमोद सत्या	उप निदेशक
7.	श्री मोहनलाल जाट	सहायक निदेशक
8.	श्री प्रफुल्ल पारीक	सहायक निदेशक
9.	श्री मनोहरलाल गुप्ता	सहायक निदेशक
10.	श्रीमती प्रीति बैरवा	विपणन अधिकारी
11.	श्रीमती सरोज मीना	विपणन अधिकारी
12.	श्री महेन्द्र कुमार बिडियासर	सहायक विधि परामर्शी
13.	श्री नवीन दुआ	प्रोग्रामर
14.	ख्याती माटा	सूचना सहायक
15.	सोनिका बोहरा	सूचना सहायक
16.	श्री मोहन लाल	लेखाधिकारी
17.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	लेखाधिकारी
18.	श्रीमती संतोष कासनिया	कनिष्ठ विप. अधि.
19.	श्रीमती ओ.बी.रोहेला	कनिष्ठ विप. अधि.
20.	श्रीमती रजनी	कनिष्ठ विप. अधि.
21.	श्री अनिल कुमार मेहता	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी
22.	श्री बृजेश कुमार गुप्ता	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी
23.	श्री नैहनाराम	सहायक कार्यालय अधीक्षक
24.	श्री सुरेश चंद नागर	सहायक कार्यालय अधीक्षक
25.	श्री महावीरप्रसाद मीना	सहायक कार्यालय अधीक्षक
26.	श्री मोहनलाल गुप्ता	सहायक कार्यालय अधीक्षक
27.	श्रीमती रजनी आचार्य	सहायक कार्यालय अधीक्षक
28.	श्री धासीलाल शर्मा	सहायक कार्यालय अधीक्षक
29.	श्री अनिल कुमार माथुर	रसायनज्ञ
30.	श्री नवीन भारद्वाज	सहा.सांख्यिकी अधिकारी
31.	श्री रामेश्वर प्रसाद जाखड	सहा.सांख्यिकी अधिकारी

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम
32.	श्री सीताराम शर्मा	सहा.सांख्यिकी अधिकारी
33.	श्री राजकुमार सिद्धा	संगणक
34.	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी	संगणक
35.	श्री भूदेव बैरवा	संगणक
36.	पिंकी मीणा	संगणक
37.	श्री पीयूष माथुर	सहायक लेखाधिकारी I
38.	श्री मंगलचंद वर्मा	सहायक लेखाधिकारी I
39.	श्री दिनेश कुमार गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी II
40.	श्री प्रभातीलाल ताम्बी	सहायक लेखाधिकारी II
41.	श्री रामेश्वरप्रसाद यादव	सहायक लेखाधिकारी II
42.	श्री नरेश व्यास	सहायक लेखाधिकारी II
43.	श्री सुकुमाल जैन	सहायक लेखाधिकारी II
44.	श्री विष्णु स्वरूप लखेरा	सहायक लेखाधिकारी II
45.	श्री गणेश ब्रह्म भट्ट	लिपिक ग्रेड I
46.	श्री इन्द्र सिंह शेखावत	लिपिक ग्रेड I
47.	श्रीमती अन्जना	लिपिक ग्रेड I
48.	श्री भंवर सिंह	लिपिक ग्रेड I
49.	श्री बाबू लाल यादव	लिपिक ग्रेड I
50.	श्री रविन्द्र यादव	लिपिक ग्रेड I
51.	श्री राजू लाल शर्मा	लिपिक ग्रेड I
52.	श्री नीतिश व्यास	लिपिक ग्रेड II
53.	श्री कृष्णकान्त शर्मा	लिपिक ग्रेड II
54.	श्री गोविन्द शर्मा	लिपिक ग्रेड II
55.	श्री बद्रीप्रसाद बैरवा	लिपिक ग्रेड II
56.	श्री मनीष मिश्रा	लिपिक ग्रेड II
57.	श्री झब्बर सिंह	वाहन चालक
58.	श्री उदयलाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
59.	श्री भगवान सहाय	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
60.	श्रीमती मधुली	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
61.	श्री जगदीश प्रसाद मीना	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
62.	श्री रमेश कुमार मीना	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
63.	श्री अशोक कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

Chapter-X

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबन्धित हो।

क.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	मासिक सकल आय–रूपयों में
1.	श्री दिनेश कुमार यादव	निदेशक	130377
2.	श्री जुगलकिशोर शर्मा	वित्तीय सलाहकार	130257
3.	श्री बी.एल.मीना	संयुक्त निदेशक	92089
4.	श्री प्रमोद सत्या	उप निदेशक	85253
5.	श्री नरेश कुमार यादव	उप निदेशक	87165
6.	श्री केसरसिंह	उप निदेशक	87165
7.	श्री मोहनलाल जाट	सहायक निदेशक	81334
8.	श्री प्रफुल्ल पारीक	सहायक निदेशक	69599
9.	श्री मनोहरलाल गुप्ता	सहायक निदेशक	81334
10.	श्रीमती सरोज मीना	विपणन अधिकारी	52176
11.	श्रीमती प्रीति बैरवा	विपणन अधिकारी	52176
12.	श्री महेन्द्र कुमार बिडियासर	सहायक विधि परामर्शी	69169
13.	श्री नवीन दुआ	प्रोग्रामर	49857
14.	ख्याती माटा	सूचना सहायक	27176
15.	सोनिका बोहरा	सूचना सहायक	27176
16.	श्री मोहन लाल	लेखाधिकारी	71798
17.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	लेखाधिकारी	79613
18.	श्रीमती संतोष कासनिया	कनिष्ठ विप. अधि.	36002
19.	श्रीमती ओ.बी.रोहेला	कनिष्ठ विप. अधि.	39246
20.	श्रीमती रजनी	कनिष्ठ विप. अधि.	39246
21.	श्री अनिल कुमार मेहता	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	50368
22.	श्री नैहनाराम	सहायक कार्यालय अधीक्षक	55809
23.	श्री सुरेशचंद नागर	सहायक कार्यालय अधीक्षक	55856
24.	श्री महावीरप्रसाद मीना	सहायक कार्यालय अधीक्षक	35016
25.	श्रीमती रजनी आचार्य	सहायक कार्यालय अधीक्षक	48352
26.	श्री मोहनलाल गुप्ता	सहायक कार्यालय अधीक्षक	47324
27.	श्री धासीलाल शर्मा	सहायक कार्यालय अधीक्षक	51196

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	मासिक सकल आय–रूपयों में
28.	श्री अनिल कुमार माथुर	रसायनज्ञ	70077
29.	श्री नवीन भारद्वाज	सहा.सांख्यिकी अधिकारी	57362
30.	श्री रामेश्वर प्रसाद जाखड	सहा.सांख्यिकी अधिकारी	70077
31.	श्री सीताराम शर्मा	सहा.सांख्यिकी अधिकारी	71439
32.	श्री राजकुमार सिद्धा	संगणक	63863
33.	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी	संगणक	39509
34.	श्री भूदेव बैरवा	संगणक	11820
35.	पिंकी मीणा	संगणक	11820
36.	श्री पीयूष माथुर	सहायक लेखाधिकारी I	63935
37.	श्री मंगलचंद वर्मा	सहायक लेखाधिकारी I	59322
38.	श्री दिनेश कुमार गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी II	63839
39.	श्री प्रभातीलाल ताम्बी	सहायक लेखाधिकारी II	58199
40.	श्री रामेश्वरप्रसाद यादव	सहायक लेखाधिकारी II	55928
41.	श्री नरेश व्यास	सहायक लेखाधिकारी II	59394
42.	श्री सुकुमाल जैन	सहायक लेखाधिकारी II	59394
43.	श्री विष्णु स्वरूप लखेरा	सहायक लेखाधिकारी II	57004
44.	श्री श्रीगणेश ब्रह्म भट्ट	लिपिक ग्रेड I	35016
45.	श्री इन्द्र सिंह शेखावत	लिपिक ग्रेड I	38170
46.	श्रीमती अन्जना	लिपिक ग्रेड I	29375
47.	श्री भंवर सिंह	लिपिक ग्रेड I	44554
48.	श्री बाबू लाल यादव	लिपिक ग्रेड I	35016
49.	श्री रविन्द्र यादव	लिपिक ग्रेड I	38170
50.	श्री राजू लाल शर्मा	लिपिक ग्रेड I	38170
51.	श्री नीतिश व्यास	लिपिक ग्रेड II	26244
52.	श्री कृष्णकान्त शर्मा	लिपिक ग्रेड II	23366
53.	श्री गोविन्द शर्मा	लिपिक ग्रेड II	23998
54.	श्री बद्रीप्रसाद बैरवा	लिपिक ग्रेड II	28825
55.	श्री मनीष मिश्रा	लिपिक ग्रेड II	
56.	श्री झब्बर सिंह	वाहन चालक	27436
57.	श्री उदयलाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	28784
58.	श्री भगवान सहाय	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	28784
59.	श्रीमती मधुली	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	26801
60.	श्री जगदीश प्रसाद मीना	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	26350
61.	श्री रमेश कुमार मीना	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17859
62.	श्री अशोक कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6670

Chapter-XI

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्ठयां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग को आवंटित बजट व उसमें से अधिनस्थ कार्यालयों को आवंटित बजट का विवरण

(राशि लाख रूपये में)

क्र स	मद	निदेशन एवं प्रशासन		एगमार्क प्रयोगशालाऐं	
		बजट	आवंटित बजट	बजट	आवंटित बजट
1.	वेतन	705.36	660.00	132.82	132.82
2.	यात्रा व्यय	4.50	1.65	4.00	2.50
3.	चिकित्सा व्यय	5.00	2.05	1.25	1.00
4.	कार्यालय व्यय	12.00	9.65	0.65	0.50
5.	कार्यालय वाहन संधारण	1.80	1.80	0.00	0.00
6.	किराया दर एवं कर रोयल्टिया	0.55	0.80	0.00	0.00
7.	वाहन किराया	2.50	2.00	0.00	0.00
8.	लेखन सामग्री	2.00	1.50	0.00	0.00
9.	मुद्रण	0.10	0.10	0.00	0.00
10.	संविदा व्यय	0.96	0.96	0.00	0.00
11.	सामग्री एवं प्रदाय	0.00	0.00	**0.80**	**0.80**
	योगः–	734.77	680.51	139.52	137.62

Chapter-XII

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आंवटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

''राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना– 2009''

1. योजना :

राज्य में 30 अगस्त, 1994 से कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसानो व खेतीहर मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए कृषक साथी योजना कृषि विपणन निदेशालय द्वारा शुरू की गई थी तथा इस योजना से पूर्व 22 दिसम्बर, 2004 से ''किसान जीवन कल्याण योजना'' के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती रही थी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 4 (78)/कृषि/ग्रुप–2/2002 दिनांक 09.12.2009 के द्वारा ''किसान जीवन कल्याण योजना'' को संशोधित कर ''राजीव गांधी कृषक साथी योजना'' के रूप में लागू की गई है।

योजना में राज्य के कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय गांव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है।

2. योजना का लाभ निम्न परिस्थितियों में देय होगा :

1. कृषकों/खेतिहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिसमें खेती से संबंधित सिंचाई कार्य भी शामिल है)
2. सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय ट्यूवबैल स्थापित करते समय एवं ट्यूवबैल संचालित करत समय बिजली करण्ट लगने तथा खेत में गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
3. कृषकों द्वारा खेतों में फसलों, फल सब्जियों पर रासायनिक दवाईयों आदि का छिड़काव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
4. मुख्य मण्डी यार्ड, उप यार्ड व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
5. मण्डी में बोरियों की धांग लगाते समय मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
6. मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर ट्रॉली, ऊंट लड्ढा, बैल गाडी, भैंसा गाडी आदि उलट जाने पर दुर्घटना में काश्तकार की मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
7. मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार/हमाल/मजदूर की मण्डी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फ्रैक्चर होने एवं मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

8. अपने अथवा किराये के साधन जिसमें काश्तकार स्वयं हो, मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर अथवा कृषि उपज बेचकर अपने या किराये के साधन में गांव लौटते समय (अगले दिन तक) में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

9. काश्तकार/खेतीहर मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर, बैलगाडी, ऊंटगाडी आदि से घर से खेत में जाते/आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

10. राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा कृषि संयत्रों से कृषक/मजदूर, पुरूषों, महिलाओं के केश (बाल) मशीन में आने से हुई दुर्घटना (डी–स्केल्पिंग) पर।

11. कृषकों/खेतीहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते हुए सांप/ऊंट या जहरीले जानवर के काटने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

12. कृषि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

13. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर दो अंगों की क्षति के समान मानते हुए मुआवजा राशि देय होगी।

14. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर इसे दो अंगों के स्थायी रूप से अंग–भंग होने के समान क्षति मानते हुए सहायता राशि देय होगी।

15. कृषि सुरक्षा, पशु चरायी हेतु पेडो की छंगाई, कृषि की रखवाली करते हुए दुर्घटना घटित होने पर। (कृषि (ग्रुप–2) विभाग के आदेश दिनांक 04.06.2010 द्वारा स्थापित)

16. वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के खेतों पर डिग्गी का निर्माण कराया जाता है। किसान के खेत में निर्मित डिग्गी में कृषकों/खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने पर भी इस योजना के तहत लाभ देय होगा। कृषि विपणन निदेशालय के पत्र क्रमांक प. 1 (135) निकृवि/रागांकृसायो/11/57288 दिनांक 09.03.2011 के द्वारा जोड़ा गया। खेत में कृषि कार्य करते समय खेत में निर्मित डिग्गी/टांके में डूबने से कृषक/खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने पर इस योजना के तहत लाभ देय होगा। (कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर के पत्रांक प.1 (58) निकृवि/रागांकृसायो/52968 दिनांक 05.03.2012 के द्वारा जोडा गया।

3. सहायता राशि :

इस योजना में निम्न प्रकार सहायता देय होगी :–

क्र.सं.	सहायता राशि हेतु परिस्थिति	देय सहायता (राशि रू. में)
1.	मृत्यु होने पर आश्रित को	2,00,000/–
2.	दो अंग, जैसे दोनों हाथ, दोनों पांव दोनों आंख, कोई एक–एक अंग अलग से कटने पर	50,000/–
3.	रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट से कोमा में जाने पर	50,000/–
4.	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश	40,000/–

	(बालों) की डी–स्केल्पिंग होने पर	
5.	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों)की आंशिक (छोटे भाग की) डी–स्केल्पिंग होने पर	25,000/–
6.	एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा बांह आदि के अंग–भंग होने पर	25,000/–
7.	चार अंगुली कट जाने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में)	20,000/–
8.	तीन अंगुली कट जाने पर	15,000/–
9.	दो अंगुली कट जाने पर	10,000/–
10.	एक अंगुली कट जाने पर	5,000/–
11.	मंडी प्रांगण में कार्यरत हमाल/पल्लेदार/मजदूर को मंडी प्रांगण में कृषि/विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फ्रैक्चर होने पर	5,000/–

4. सहायता राशि स्वीकृति हेतु प्रक्रिया :–

निम्न अधिकारियों की एक समिति सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेगी –

1.	अध्यक्ष/प्रशासक, संबंधित मण्डी समिति	–	अध्यक्ष
2.	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति	–	सदस्य सचिव

प्रशासक, भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होने की स्थिति में उक्त समिति में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त समिति की बैठक मण्डी समिति स्तर पर प्रति माह आवश्यक रूप से सम्पन्न किया जाना आवश्यक होगा। यह योजना सामाजिक सरोकार से सम्बन्धित होने के कारण एक बार प्रकरण सहायता समिति द्वारा निरस्त किये जाने के पश्चात किसी भी स्तर पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा तथा गठित सहायता समिति का निर्णय अन्तिम होगा। समिति की बैठक में निर्णय उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से लिया जावेगा। अनिर्णित एवं विवादग्रस्त प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत किये जा सकेगें।

5. दावों के निपटारे की प्रक्रिया एवं समयावधि :

दुर्घटनाग्रस्त काश्तकार/खेतीहर मजदूर या उसके वैध उत्तराधिकारी को दुर्घटना होने के छः माह के अन्दर क्षेत्र की मण्डी समिति को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र देना होगा, मण्डी समिति यह सुनिश्चित करेगी की आवेदन पत्र में दर्शाई गई दुर्घटना में हुई मृत्यु या अंग–भंग की घटना कृषि कार्य करते हुए ही हुई है। समिति द्वारा सहायता राशि स्वीकृति के दावे का निर्णय एक माह से करना होगा।

यदि प्रकरण छः माह पश्चात प्राप्त होता है तो ऐसे प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अवधि में शिथिलता का अब कोई प्रावधान नहीं होगा, 6 माह की अवधि दावा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त है, इसके पश्चात प्राप्त होने वाले दावों पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

कुछ प्रकरणों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण जिला कलेक्टर/ उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाता है जिसकी वजह से प्रकरण निर्धारित अवधि छः माह से अवधि पार हो जाता है। ऐसे प्रकरणों में सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया कि उक्त प्रकरण इस आशय के साथ मंडी को भिजवाये जाना सुनिश्चित करें कि प्रकरण उनके कार्यालय में अमुक तारीख को प्राप्त हो गया था। ऐसे प्रकरणों में छः माह की अवधि उक्त कार्यालयों में प्राप्त तिथि के आधार पर ही मान्य होगा।

राज्य की किसी भी मण्डी समिति में अपनी उपज बेचने जाते/बेच कर लौटते समय दुर्घटना पर सहायता राशि उसी मण्डी समिति द्वारा दी जायेगी, जिस मण्डी समिति में उपज बेची गई है। चाहे दुर्घटना उस मण्डी समिति क्षेत्र से बाहर ही हुई हो।

पैरा 2 के बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 एवं 16 की परिस्थितियों में संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई–गई रिपोर्ट (एफआईआर) पुलिस के पंचनामें एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।

यदि कोई कृषक/खेतीहर मजदूर कृषि कार्य करते समय अथवा कृषि उपज विक्रय हेतु मण्डी में जाते व आते समय घटित दुर्घटना के फलस्वरूप अंग भंग होने की स्थिति में पुलिस मे एफ.आई.आर., पुलिस के पंचनामें एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें स्थानीय राजकीय अथवा निजी चिकित्सालय, जहां से भी ईलाज करवाया गया है उस चिकित्सक का प्रमाण पत्र ईलाज की पर्ची इत्यादि दावा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। सामान्य दुर्घटना के फलस्वरूप हुई दुर्घटना से हुए अंग भंग में योजना का लाभ देय नहीं होगा।

पैरा 2 के बिन्दु संख्या 11 की परिस्थितियों में सामान्यतः दुर्घटना की संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई रिपोर्ट एवं पुलिस के पंचनामें/पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जानी चाहिए। परन्तु किन्हीं परिस्थितिवश दुर्घटना की संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाना अथवा पोस्टमार्टम संभव नहीं होने पर मृत्यु के मामले में पंचनामें के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे पंचनामें पर स्थानीय जिला परिषद सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच/ पंच/विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा उस विद्यालय का कोई अध्यापक, जो वहां निवास करता हो/पटवारी ग्राम सेवक/कृषि पर्यवेक्षक/ए.एन.एम./राजीव गांधी पाठशाला का अध्यापक/स्थानीय राजकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी में से कोई तीन, जिसमें सरपंच एवं दो राज्य कर्मचारी को होना अनिवार्य होगा। पंचनामें में उक्त के अलावा दो स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों के हस्ताक्षर करवाने होगें।

सर्पदंश/ऊंट/जहरीले जानवर के काटने के कारण मृत्यु होने की स्थिति में राजकीय चिकित्सक का ही प्रमाण पत्र आवश्यक होगा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मौके पर तैयार पंचनामा पर दो सरकारी कर्मचारी एवं संबंधित चिकित्सक जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किये हैं, के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। प्रमाणित करने वाले चिकित्सक एवं हस्ताक्षरकर्ता सरकारी कर्मचारी तथ्यों की सत्यता हेतु समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

योजनान्तर्गत राजकीय डाक्टर के संबंध में यह स्पष्ट है कि सरकारी कोई भी डाक्टर (एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी) शामिल होगा।

योजनान्तर्गत सर्पदंश/ऊंट/जहरीले जानवर के कारण दुर्घटना में जहां अंग–भंग हो जाता है, वहां ऐसे काश्तकार/खेतीहर मजदूर द्वारा स्थानीय या संबंधित चिकित्सालय जहां से भी ईलाज करवाया गया है, उस चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र व ईलाज की पर्ची व दवाईयों आदि के बिल आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

स्कैल्पिंग की दुर्घटना में यदि राजकीय अस्पताल में ईलाज करवाया जा रहा है, तो संबंधित डाक्टर की रिपोर्ट पर देय राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान दुर्घटनाग्रस्त कृषक/खेतीहर मजदूर को मण्डी समिति के अनुमोदन के पश्चात मण्डी समिति द्वारा किया जाएगा। यदि डी स्कैल्पिंग का ईलाज निजी चिकित्सालय में करवाया जा रहा है, तो देय राशि का भुगतान समिति के अनुमोदन के पश्चात मण्डी समिति द्वारा एक मुश्त किया जाएगा।

6. सहायता राशि का भुगतान एवं पुर्नभुगतान :

समिति के निर्णय के पश्चात संबंधित मण्डी समिति के सचिव द्वारा वैध दावेदार को 15 दिन में रेखांकित चैक/ड्राफ्ट द्वारा दो व्यक्तियों के सामने किया जाएगा, जिनका सत्यापन दोवदार द्वारा की गई रसीद पर भी होगा।

सहायता राशि का भुगतान मण्डी समिति स्तर पर गठित सहायता समिति द्वारा दस्तावेजों की परीक्षोपरान्त संबंधित सचिव मण्डी समिति द्वारा किया जाएगा। संबंधित मंडी की सहायता समिति द्वारा स्वीकृत दावों की राशि का पुर्नभरण निदेशालय द्वारा किया जाएगा। इस हेतु संबंधित सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति का दायित्व होगा कि वह निस्तारित प्रकरणों की सम्पूर्ण सूचना/दस्तावेज निदेशालय कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर को 10 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करेगा।

योजनान्तर्गत यह देखा गया है कि कतिपय मंडियों में 31 मार्च के बाद वे प्रकरण जो गत वर्ष घटित हुए है उन्हें आगामी वर्ष में शामिल कर लिया जाता है। अतः समस्त मंडी सचिवों को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया कि प्रकरण जिस वर्ष में घटित हुआ उसी वर्ष के रजिस्टर में इन्द्राज कर उसी वर्ष में रिपोर्ट किया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत नियमानुसार भुगतान किये जाने के पश्चात सभी प्रकरणों की मूल पत्रावलियां एवं अभिलेख संबंधित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में रखा जायेगा, जिसके आधार पर कृषि उपज मण्डी के लेखों का चार्टड एकाउन्टेट एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण करते समय इन प्रकरणों की भी जांच की जायेगी।

काश्तकार के कृषि उपज विक्रय हेतु मण्डी में जाते /लौटते समय, सर्प के डसने से, बिजली करंट, विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने तथा आकाशीय बिजली से दुर्घटना /मृत्यु होने पर प्रकरणों की जांच मंडी सचिव संबंधित गांव में जाकर स्वंय करेंगें।

सदस्य सचिव को यह प्रतीत हो कि इन निर्देशों का उल्लंघन हो रहा हो अथवा जहां भी कहीं संदेह की स्थिति हो व जांच आवश्यक हो तो वह किसी स्वतंत्र अन्वेषणकर्ता से प्रकरण की जांच कराएगा किन्तु उक्त कार्य 30 दिवस के अन्दर करना अनिवार्य होगा।

अन्वेषणकर्ता की जांच रिपोर्ट मय अनुशंसा पुनः मंडी दावा स्वीकृति समिति के समक्ष रखी जाएगी। यदि समिति एवं अन्वेषणकर्ता की अभिशंसा में भिन्नता हो तो ऐसे प्रकरणों को कृषि विपणन निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

इस योजना का संचालन कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से किया जावेगा। योजना के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति को किये जाने वाले दावों का पुनर्भरण कृषि विपणन निदेशालय द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विशिष्ठ एवं अ श्रेणी की मंडी समिति से प्राप्त अंशदान से किया जायेगा।

7. बैंक खातों का संधारण :

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के संचालन हेतु एक पृथक बैंक खाता खोला जावेगा। उक्त बैंक खाते में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विशिष्ठ एवं अ श्रेणी की मंडी समितियों से प्राप्त अंशदान जमा कराया जावेगा तथा उक्त खाते से मंडी समितियों से प्राप्त पुर्नभरण दावों का भुगतान किया जावेगा। 1,00,000/– रूपये तक के चैक पर मुख्य लेखाधिकारी हस्ताक्षर कर जारी करने हेतु अधिकृत होगें। इससे अधिक राशि के चैको पर मुख्य लेखाधिकारी एवं निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से चैक जारी किये जा सकेगें।

बैंक खाते का प्रतिमाह मिलान कर यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो तुरन्त कार्यवाही कर आवश्यक सुधार कराया जावेगा।

राशि को स्थायी विनियोजन के रूप में रखी जावेगी। एक साथ बैंक खाते दिन प्रतिदिन के लेन देन हेतु राशि 2 करोड़ रूपये रखी जावेगी।

8. राज्य स्तरीय Review Committee

मंडी समिति की कमेटी के स्तर पर अनिर्णित प्रकरणों को राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे जा सकेगें। कमेटी निम्नानुसार होगी :–

1.	निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	उप शासन सचिव, कृषि ग्रुप–2	–	सदस्य
3.	मुख्य लेखाधिकारी	–	सदस्य सचिव

9. योजना के अपवर्जन एवं ध्यान रखने योग्य बिन्दु :

योजनान्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु/क्षति होने पर दुर्घटना के स्पष्ट साक्ष्य मिलने पर ही योजना के लाभ देय होंगे। कृषि कार्य के अलावा अथवा कृषि उपज मण्डी में विक्रय हेतु जाने/आने के अलावा अन्य कारणों से हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु या अंग–भंग में योजना का लाभ देय नहीं होगा। निम्न कारणों से होने वाली मृत्यु/क्षति के मामलों में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा :

1. (i) बीमारी से होने वाली मृत्यु/अंग–भंग होने की स्थिति में।
(ii) आत्महत्या, पागलपन अथवा कृषक द्वारा नशीले द्रव्य लेने से होने वाली मृत्यु।
(iii) चिकित्सा अथवा शल्य–क्रिया के दौरान होने वाली मृत्यु।
(iv) मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रकरण योजना में शामिल नहीं किया जावेगा।
(v) गर्भ धारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु।
(vi) यदि दुर्घटना तिथि एवं मृत्यु तिथि में 90 दिन से अधिक का अन्तर होगा तो प्रकरण दुर्घटनावश नहीं माना जायेगा। लेकिन यदि ईलाज लगातार चल रहा हो और उसी हादसे के कारण मृत्यु हुई हो तो प्रकरण राजीव गांधी कृषक साथी योजना में कवर माना जाएगा बशर्ते इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त कृषक/खेतीहर मजदूर संबंधित अस्पताल द्वारा डिस्चार्ज न किया गया हो/डिस्चार्ज होकर पुनः भर्ती न हुआ हो।
(vii) नाभिकीय विकरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली मृत्यु।
(viii) युद्व विदेशी आक्रमण विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्व, देश द्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से होने वाली मृत्यु।
(ix) आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा स्थापित कानून का उल्लंघन करते समय हुई मृत्यु।
(x) विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के फलस्वरूप हुई क्षति/मृत्यु की दशा में।

2. ''75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को योजना में शामिल नहीं माना जायेगा।'' कृषि विपणन निदेशालय के पत्र क्रमांक प 1(135) निकृवि/रागांकृसायो/10/15176 दिनांक 29.06.2011 के द्वारा जोड़ा गया ।

3. 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि वह स्वंय के खेत पर भी कार्य करता है तो योजना का पात्र नहीं माना जायेगा। 14 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा यदि विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का लाभार्थी है तो उसे इस योजना का लाभ देय नहीं होगा अर्थात वह दोनों योजनाओं में से किसी एक योजना का लाभ ले सकेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (कृषि विपणन निदेशालय के पत्र क्रमांक प. 1(135)निकृवि/रागांकृसायो /10/15176 दिनांक 29.06.2011 के द्वारा जोड़ा गया)

4. सर्पदंश, जहरीले जानवर के काटने पर मृत्यु/क्षति होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट/एफआईआर नहीं होने की स्थिति में मौके पर तैयार पंचनामा एवं राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, प्रमाण पत्र पर दो सरकारी कर्मचारी एवं संबंधित चिकित्सक जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किये है, के हस्ताक्षर भी आवश्यक होंगे। प्रमाणित करने वाले चिकित्सक एवं हस्ताक्षरकर्ता सरकारी कर्मचारी तथ्यों की सत्यता हेतु समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. कृषकों/खेतीहर मजदूरों को कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग भग होने पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। कुछ प्रकरणों में सरकार की अन्य योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्राकृतिक आपदा कोष, राष्ट्रीय

आपदा कोष आदि के अंतर्गत भी सहायता राशि दी जाती है। इस प्रकार एक ही प्रकरण में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को दोहरी सहायता दिये जाने की स्थिति बन जाती है। अतः अन्य योजनाओं के अधीन भुगतान की गयी राशि को कम कर केवल अंतर राशि का ही भुगतान कृषक/मजदूर को किया जायेगा। इस हेतु दावेदार का दावा प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (कृषि विपणन निदेशालय के आदेश क्रमांक निकृवि/रागांकृसायो/ 2010–11/3464–80 दिनांक 03.05.2010 के द्वारा जोड़ा गया।)

राजीव गॉधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु आवेदन की प्रकिया :–

योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति में आवेदन कर सकता है एवं आवेदन के साथ योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रपत्रों एवं चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेजों को संलग्न करना है :–

प्रपत्र एक – प्रपत्र दावाकर्ता (क्लेम करने वाले द्वारा भरा जायेगा)
प्रपत्र दो – मण्डी समिति स्तरीय समिति द्वारा भुगतान की सिफारिश की जाती है ।
प्रपत्र तीन – चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र

चेकलिस्ट –

राजीव गांधी कृषक साथी योजना हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ चेक लिस्ट

1	प्रथम सूचना रिपोर्ट – अगर नहीं है तो कारण	संलग्न है/नही ....
2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट – अगर नही है तो कारण	संलग्न है /नही ....
3	पंचनामा–	संलग्न है /नही
4	सॉप/जहरीला जानवर काटने पर मृत्यु होने पर प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं ओ.पी.डी.रजि. क्रमांक .... दिनांक	संलग्न है /नहीं
5	दावेदार कृषक उपज बेचकर वापस जाते वक्त मृत्यु होने पर मण्डी का गेट पास/विक्रय पर्ची/ अमानत पट्टी	संलग्न है /नहीं
6	रसायनिक दवाईयों के प्रभाव से मृत्यु होने पर एफ.एस.एल. भेजने का रजिस्टर में क्रमांक – .... दिनांक	संलग्न है/नही
7	विधिक दावेदार कृषक का 10 रू. के नॉन ज्यूडि–शियल स्टाम्प पर शपथ पत्र	संलग्न है/नहीं
8	अंग–भंग होने की स्थिति में दावेदार का अस्थि रोग विशेषज्ञ का चिकित्सा प्रमाण पत्र मय सत्या–पित फोटो/डाक्टर की पर्ची/दवाईयों के बिल आदि	संलग्न है/नहीं

9	दावेदार कृषक व उससे संबंधित की भूमि की खसरा गिरदावरी रिपोर्ट	संलग्न है/नहीं
10	दावेदार का फोटो	संलग्न है/नहीं
11	अगर मृतक मजदूर है तो जिसके खेत में कार्य कर रहा था उसका शपथ पत्र एवं खसरा गिरदावरी	संलग्न हैं/नहीं
12	दावेदार कृषक की पहचान हेतु राशन कार्ड वोटर पहचान पत्र,बैंक पास बुक,जमीन पास बुक, नरेगा जोब कार्ड आदि की सत्यापित फोटो प्रति	संलग्न हैं/नहीं
13	मृत्यु होने की स्थिति में कृषि कार्य करते हुये मृत्यु होने का उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र	संलग्न है/नहीं

किसान कलेवा योजना – 2014

राज्य की ''विशिष्ट'', ''अ'' एवं ''ब'' श्रेणी की मण्डियों में जो काश्तकार कृषि जिन्स विक्रय हेतु ट्रेक्टर ट्रोली, ऊँट गाडी या अन्य साधनों से लेकर आते है। उन्हें मण्डी यार्ड में आने के पश्चात विभिन्न प्रक्रिया पूरी होने तक काफी समय लगता है और मण्डी यार्ड में रूक कर भोजन भी करना पडता है। मण्डी प्रांगणों में आने वाले कृषक/हमाल/पल्लेदार को भोजन व्यवस्था किये जाने हेतु किसान कलेवा योजना 2014 लागू की गई है ।

- ''विशिष्ट'', ''अ'' एवं ''ब'' श्रेणी की मण्डियों में उक्त योजना के अन्तर्गत कृषक/हमाल/पल्लेदार को कूपन व्यवस्था के माध्यम से भोजन दिया जाता है। कृषि जिन्स विपणन हेतु लाने वाले प्रत्येक कृषक व उसके सहयोगी को कूपन व्यवस्था के माध्यम से उस दिवस को सस्ता व पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना है।

- मण्डी प्रांगण के प्रवेश द्वार पर कृषक द्वारा अपनी उपज का प्रवेश पत्र प्राप्त करने पर प्रति वाहन अधिकतम 2 व्यक्तियों को किसान कलेवा योजना अन्तर्गत दिये जाते है।

- एक भोजन थाली में 6 चपाती, एक कटौरी दाल, एक कटौरी सब्जी एवं सर्दियों में (अक्टूबर से मार्च) 50 ग्राम गुड़ तथा गर्मियो में (अप्रेल से सितम्बर) 200 मिली छाछ दिया जाना प्रस्तावित है।

- प्रत्येक भोजन थाली का अधिकतम 30.00 रूपये तक निर्धारित किया जाता है। भोजन थाली पर 25 रूपये राशि संबंधित मण्डी अपनी आय से अनुदान के रूप में अदा करेगी एवं कृषक/पंजीकृत हमाल एवं मजदूर वर्ग को भोजन थाली का अधिकतम 5.00 रूपये अदा करना होगा।

महात्मा ज्योतिबा फूलें मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015'

मण्डी प्रांगण में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्मालों एवं पल्लेदारों की सहायतार्थ महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना 2015

1	योजना का नाम (हिन्दी में)	महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015
2	अग्रेंजी में	Mahatma Jyotiba Phoolen Mandi Shrmik Kalyan Yojana-2015
3	योजना का संक्षिप्त परिचय	यह योजना प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्मालों एवं पल्लेदारों की सहायतार्थ है जो कि 'महात्मा ज्योतिबा फूलें मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015' के नाम से है।
4	योजना प्रारम्भ करने की तिथि	11.0.4.2015
5	लाभान्वित वर्ग	प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं पल्लेदार
6	पात्रता	कृषि उपज मण्डी समिति के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलारा को सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी जिनकी अनुज्ञप्ति कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कम से कम एक वित्तीय वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई हो और वे कृषि उपज मण्डी समिति में हम्माल एवं पल्लेदार का कार्य कर रहे है।
7	योजना का लाभ जिन परिस्थितियों में देय होगा।	योजना के तहत उपलब्ध कराये जाने वाली सहायता यथा विवाह, प्रसूति एवं छात्रवृति दो बच्चों की सीमा तक देय होगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में ही सहायता देय होगी।
8	देय सुविधाएं	योजना के अन्तर्गत हम्माल एवं पल्लेदार अनुज्ञप्तिधारी को निम्नानुसार सहायता उपलब्ध कराई जायेंगीः– 1. **प्रसूति सहायता**– महिला अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं पल्लेदार को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान देय होगा। पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के हम्माल/तुलारा/पल्लेदार पिता को राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान देय होगा।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
2. विवाह के लिये सहायता– अनुज्ञप्तिधारी महिला के विवाह एवं अनुज्ञप्तिधारी महिला की दो पुत्रीयों की सीमा तक रू 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) प्रति विवाह सहायता देय होगी। सहायता के लिये संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में विवाह के 10 दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत करेगा।

3. छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरस्कार योजना– प्रत्येक ऐसा छात्र/छात्रा जो प्रथम श्रेणी अंक पाता है एवं जिसके अभिभावक मण्डी में अनुज्ञापत्रधारी हम्माल या पल्लेदार है, को निम्न दर पर मेघावी छात्रवृत्ति दी जायेगी–

<table>
<tr><th>कक्षा</th><th>छात्र</th><th>छात्रा</th><th></th></tr>
<tr><td>10 वीं में
80 % से अधिक अंक
70 % से 80 % तक</td><td>
3000/–
2000/–</td><td>
3500/–
2500/–</td><td>
प्रति छात्र
एकमुश्त</td></tr>
<tr><td>12 वीं में
90 % से अधिक अंक
80 % से 90 % तक
70 % से 80 % तक</td><td>
5000/–
4000/–
3000/–</td><td>
6000/–
5000/–
4000/–</td><td>
प्रति छात्र
एकमुश्त</td></tr>
<tr><td>स्नातक में
60 % से अधिक अंक</td><td>4000/–</td><td>5000/–</td><td>प्रति छात्र
एकमुश्त</td></tr>
<tr><td>स्नातकोत्तर में
60 % से अधिक अंक</td><td>5000/–</td><td>6000/–</td><td>प्रति छात्र
एकमुश्त</td></tr>
</table>

यह पुरस्कार यथासंभव पात्रता स्थापित होने के तीन माह में देय होगा।

4. चिकित्सा सहायता– अनुज्ञप्तिधारी हम्माल अथवा पल्लेदार को गंभीर बीमारी (कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि से संबंधित) होने की दशा में सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में भरती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू. 20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र) की सीमा तक स्वीकृत की जायेगी। यह सहायता राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना एवं अन्य किसी योजना के अन्तर्गत देय सहायता के अतिरिक्त होगी।
</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>योजना के अधीन प्राप्त होने वाले दावों का निराकरण/अपील</td>
<td>कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निरस्त किये जाने वाले दावे के संबंध में अपील राजस्थान कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को की जा सकेगी। क्षैत्रीय कार्यालयों कृषि विपणन विभाग के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पुर्नावलोकन निदेशक, कृषि विपणन विभाग को किया जा</td>
</tr>
</table>

		सकेगा, जो कि अंतिम होगा। 'महात्मा ज्योतिबा फूलें मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015' में किसी भी बात का उल्लेख होते किसी भी दावें को सहायता के रूप में लिया जावेगा। दावा को अधिकार के रूप में नहीं माना जावेगा।

Chapter-XIII

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ता की विशिष्ठयां

क्र.स.	अनुज्ञापत्र का प्रकार	नियम	अनुज्ञापत्र ऑथोरिटी
1	'क' वर्ग दलाल 'ख' वर्ग दलाल संयुक्त वर्ग व्यापारी वर्ग	राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के नियम, 1963 के नियम 69 सहपठित धारा 14 के तहत	कृषि उपज मण्डी समिति
2	तौला, हमाल, मापने वाले, सर्वेक्षक, भण्डागारकर्मी, रासयनिक जांच परीक्षणकर्ता	उपरोक्त	उपरोक्त
3	प्राइवेट निजी मण्डी यार्ड	राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के नियम, 1963 के नियम 72 सहपठित धारा 14 के तहत	निदेशक कृषि विपणन
4	प्राइवेट सब ई–मार्केट	राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के नियम, 1963 के नियम 56बी के तहत	निदेशक कृषि विपणन
5	एकल अनुज्ञापत्र – विशिष्ठ अनुज्ञप्ति	राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के नियम, 1963 के नियम 63 एवं 63ए से 63पी के तहत	निदेशक कृषि विपणन

Chapter-XIV

किसी इलेक्ट्रोनिक रूप से सूचना के संबंध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो

वेबसाईट – www.rsamb.rajasthan.gov.in

निदेशालय में निम्नांकित सूचनाऐं कम्प्यूटर से संधारित की जाती है–

1. कृषि जिन्सों के प्रतिदिन/सालभर के भाव
2. कृषि उपज मण्डी समितियों के मुख्य/गौण मण्डियों के नाम व टेलीफोन नम्बर
3. नागरिक अधिकार पत्र
4. राजीव गांधी कृषक साथी योजना
5. निदेशालय की मासिक प्रगति रिपोर्ट
6. सूचना का अधिकार

Chapter-XV

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्ठयां जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण धंट सम्मिलित है।

विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं इसके अतिरिक्त नुक्कड़ प्रचार प्रसार के साधन जैसे होर्डिंग,बेनर्स, पोस्टर्स, पैम्पलेट तथा कुछ कृषि उपज मण्डी समितियों में कठपुतली शो के द्वारा विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी आदि के माध्यम से सूचनाऐं उपलब्ध करायी जाती है ।

Chapter-XVI

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टयां

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विपणन विभाग के निदेशालय स्तर पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये है।

लोक सूचना अधिकारी

क. स.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी व पता	दूरभाष नम्बर/फैक्स न.एवं ई–मेल पता		अपीलीय अधिकारी
1	कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर	अतिरिक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर	0141	2227835	प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उधान विभाग

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क. स.	लोक प्राधिकरण	सहायक लोक सूचना अधिकारी व पता	दूरभाष नम्बर	फैक्स नम्बर	अपीलीय अधिकारी
2	कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर	संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर	0141–2227640	2227785	

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विपणन विभाग एवं अधिनस्थ खण्ड स्तर पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये है।

क. स.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी व पता	दूरभाष नम्बर/फैक्स न.एवं ई–मेल पता		अपीलीय अधिकारी
1	कृषि विपणन निदेशालय,जयपुर	अतिरिक्त निदेशक,कृषि विपणन निदेशालय,जयपुर	0141	2227835	प्रमुख शासन सचिव, कृषि
2	कृषि विपणन विभाग,अजमेर खण्ड	उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कृषि विपणन विभाग,अजमेर	0145	2441891	निदेशक,कृषि विपणन विभाग,जयपुर
3	कृषि विपणन विभाग,अलवर खण्ड	उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कृषि विपणन विभाग,अलवर	0144	2372379	निदेशक,कृषि विपणन विभाग,जयपुर
4	कृषि विपणन विभाग, बीकानेर खण्ड	उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कृषि विपणन विभाग,बीकानेर	0151	2250939	निदेशक,कृषि विपणन विभाग,जयपुर
5	कृषि विपणन विभाग,हनुमानगढ खण्ड	उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कृषि विपणन विभाग,हनुमानगढ	01552	265441	निदेशक,कृषि विपणन विभाग,जयपुर
6	कृषि विपणन विभाग,जयपुर खण्ड	उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कृषि विपणन विभाग,कूकरखेडा सीकर रोड, जयपुर	0141	2330113	निदेशक,कृषि विपणन विभाग,जयपुर
7	कृषि विपणन विभाग,जोधपुर खण्ड	उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कृषि विपणन विभाग,जोधपुर	0291	2574178	निदेशक,कृषि विपणन विभाग,जयपुर
8	कृषि विपणन विभाग, कोटा खण्ड	उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कृषि विपणन विभाग,कोटा	0744	2364022	निदेशक,कृषि विपणन विभाग,जयपुर
9	कृषि विपणन विभाग,सीकर खण्ड	उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कृषि विपणन विभाग,सीकर	01572	245661	निदेशक,कृषि विपणन विभाग,जयपुर
10	कृषि विपणन विभाग,श्रीगंगानगर	उप निदेशक,कार्यालय कृषि विपणन विभाग,श्रीगंगानगर	0154	2471885	निदेशक,कृषि विपणन विभाग,जयपुर
11	कृषि विपणन विभाग, उदयपुर खण्ड	उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कृषि विपणन विभाग,उदयपुर	0294	2583254	निदेशक,कृषि विपणन विभाग,जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (1)के अन्तर्गत राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति स्तर पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये है।

क. स.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी व पता	दूरभाष नम्बर/फैक्स न. एवं ई–मेल पता		अपीलीय अधिकारी
1	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,अजमेर (फ.स.)	0145	2440146	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
2	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,अजमेर (अनाज)	0145	2440718 2440593	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
3	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,ब्यावर	01462	224893	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
4	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,भीलवाडा	01482	220168	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
5	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,विजयनगर	01462	230037	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
6	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,देवली	01434	232044	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
7	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,गंगापुर	01481	220084	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
8	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,केकडी	01467	220127	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
9	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,मदनगंज किशनगढ	01463	243319	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
10	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,मालपुरा	01437	225717	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
11	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,माण्डलगढ	01489	230031	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
12	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,निवाई	01438	222031	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
13	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,टोंक	01432	246750	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
14	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,उनियारा	01436	260346	प्रशासक/चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति

15	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बिजौलिया	01489	236035	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
16	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,अलवर	0144	2372079	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
17	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बयाना	05648	222047	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
18	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,भरतपुर	05644	238664	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
19	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,डीग	05641	220047	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
20	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,धौलपुर	05642	240682	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
21	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,कांमा	05640	220028	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
22	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,खैरथल	01460	222112	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
23	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,खैरली	01492	220061	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
24	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,नदबई	05643	223466	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
25	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,नगर	05641	211414	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
26	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बीकानेर (अनाज)	0151	2226961 2226962	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
27	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बीकानेर (फ.स.ऊन)	0151	2212801	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
28	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,चूरू	01562	250242	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
29	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,खाजूवाला	01520	232268	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
30	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,लूणकरणसर	01528	222071	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
31	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,नोखा	01531	220034	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
32	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,रतनगढ	01567	222127	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति

33	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सादुलपुर	01559	222077	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
34	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सरदारशहर	01564	220001	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
35	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,श्रीडूगरपुर	01565	222044	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
36	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सुजानगढ	01568	220143	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
37	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,भादरा	01504	222052	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
38	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,गोलूवाला	01508	220007	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
39	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,हनुमानगढ	01552	260569	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
40	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,नोहर	01555	220006	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
41	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा	01508	233067	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
42	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,रावतसर	01537	230055	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
43	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सादुलशहर	01503	222030	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
44	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सांगरिया	01499	250064	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
45	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सूरतगढ	01509	220140	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
46	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बादीकुई	01420	222067	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
47	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,चाकसू	01429	243623	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
48	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,चौमू	01423	220047	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
49	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,दौसा	01427	230078	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
50	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,जयपुर (फ.स.)	0141	2739036 5145135	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति

51	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,जयपुर (अनाज)	0141	2640749 2642618	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
52	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,किशनगढ रेनवाल	01424	220210	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
53	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,कोटपुतली	01421	222096	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
54	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,लालसोट	01431	260010	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
55	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डावरी	01431	262194	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
56	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,महुवा मण्डावर	07461	260434	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
57	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बालोतरा	02988	220053	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
58	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बाडमेर	02982	220503	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
59	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,भीनमाल	02969	220090	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
60	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बिलाडा	02930	222066	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
61	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,जैसलमेर	02992	252730	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
62	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,जैतारण	02939	222242	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
63	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,जालौर	02973	222346	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
64	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,जोधपुर (फ.स.)	0291	2544029	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
65	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,जोधपुर (अनाज)	0291	2571999	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
66	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,पाली	02932	257138	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
67	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,पीपाडसिटी	02930	233074	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
68	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,रानी	02934	222086	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति

69	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सांचौर	02979	222015	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
70	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सोजतरोड	02960	230015	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
71	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, फलौदी	2925	222062	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
72	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सुमेरपुर	02933	258247	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
73	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,अटरू	07451	240238	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
74	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बारां	07453	230085	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
75	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,भवानीमण्डी	07433	222180	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
76	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बूंदी	0747	2443704	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
77	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,छबडा	07452	222257 222265	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
78	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,गंगापुरसिटी	07463	232454	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
79	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,हिण्डौन	07469	209615	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
80	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,ईकलेरा	07431	273202	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
81	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,ईटावा	07458	225228	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
82	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,झालरावपाटन	07432	240023	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
83	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,केशोरायपाटन	07438	264243	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
84	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,खानपुर	07430	261225	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
85	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा (अनाज)	0744	2490475 2490674	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
86	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,रामगंजमण्डी	07459	220051	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति

87	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सवाई माधोपुर	07462	234142	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
88	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सुमेरगंजमण्डी	07458	253815	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
89	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,चिडावा	01596	220075	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
90	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,डीडवाना	01580	220012	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
91	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,डैगाना	01587	222933	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
92	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,फतेहपुर	01571	230088	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
93	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,झुझुनू	01592	239369	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
94	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,कुचामनसिटी	01586	220063	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
95	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,मेडतासिटी	01590	220039	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
96	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,नागौर	01582	240849	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
97	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,नवलगढ	01594	222059	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
98	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,नीमकाथाना	01574	230069	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
99	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सीकर	01572	245562	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
100	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,श्रीमाधोपुर	01575	250042	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
101	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,सूरजगढ	01596	237308	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
102	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,अनूपगढ	01498	252064	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
103	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,गजसिंहपुर	01505	230128	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
104	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,धडसाना	01506	220062	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति

105	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,जैतसर	01498	264340	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
106	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,केसरीसिंहपुर	01501	232056	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
107	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,पदमपुर	01505	222028	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
108	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,रायसिंहनगर	01507	220054	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
109	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,रावला	01506	263040	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
110	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,रिडमलसर	01505	241239	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
111	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,श्रीगंगानगर (फ.स.)	0154	2484621	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
112	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,श्रीगंगानगर (अनाज)	0154	2470621	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
113	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,श्रीकरणपुर	01501	226018	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
114	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,श्रीविजयनगर	01498	231732	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
115	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,आबूरोड	02974	222170	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
116	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बांसवाडा	02962	243254	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
117	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बडीसादडी	01473	264243	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
118	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,बैगू	01474	220112	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
119	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,चित्तौडगढ	01472	241270	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
120	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,डूगरपुर	02964	232578	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
121	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,फतेहनगर	02955	220052	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
122	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,कपासन	01476	230236	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति

123	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,निम्बाहैडा	01477	220040	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
124	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,प्रतापगढ	01478	222097	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
125	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,राजसमन्द	02952	230245	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
126	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,उदयपुर (अनाज)	0294	2486127	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
127	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,उदयपुर (फल सब्जी)	0294	2584054	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
128	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,कोटा (फल सब्जी)	0744	2490674	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
129	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, अन्ता	07457	244220	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
129	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, फलौदी	02925	222062	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
130	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बडोदामेव	01492	232002	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
131	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,रानीवाडा,जालौर	02990	232065	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
132	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, चौमेहला,झालावाड	07435	284249	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
133	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, देई,बूंदी	07437	255161	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
134	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,शाहपुरा	01484	222242	प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति
135	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव,कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,महवा			प्रशासक / चेयरमैन,कृषि उपज मण्डी समिति

Chapter-XVII

ऐसे अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा

लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के क्रम में राजस्थान राज्य कृषि विपणन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मार्ग निर्देशिका संशोधित कर प्रकाशित की जाती है। इस निर्देशिका की प्रति संबंधित सभी कार्यालयों एवं मांग पर सूचना चाहने वाले आवेदकों को भी उपलब्ध कराई जाती है। यह निर्देशिका बेवसाईट www.rsamb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।